संकल्प

अंक : 12 वर्ष : 2021-22

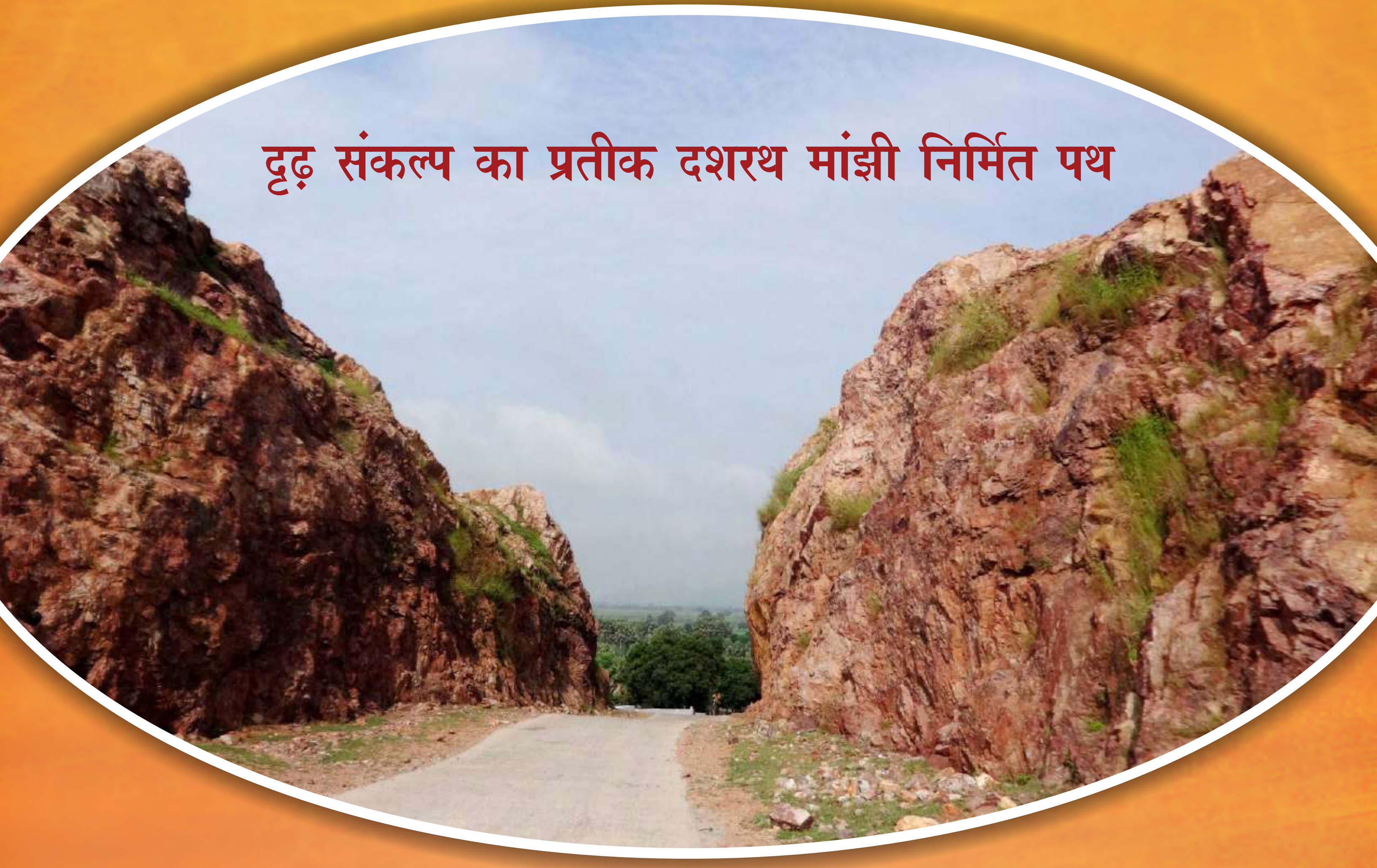

दृढ़ संकल्प का प्रतीक दशरथ मांझी निर्मित पथ

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-8000 001

माननीय महानिदेशक महोदय का क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में क्षेत्रीय निदेशक द्वारा स्वागत

कार्यालय की गृह पत्रिका 'संकल्प' को 'क' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार

संकल्प

अंक : 12 वर्ष : 2021-2022

संरक्षक

श्री सत्यजीत कुमार

क्षेत्रीय निदेशक

सम्पादकद्वय

श्री प्रमोद कुमार निराला

सहायक निदेशक (रा.भा.)

श्रीमती श्वेता सिन्हा

सहायक निदेशक (रा.भा.)

संपादन सहयोग

श्रीमती मालविका

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

निवेदक

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन,

जवाहर लाल नेहरु मार्ग, पटना-800001

पत्रिका में प्रकाशित रचनाकारों के विचार उनके अपने हैं।

उनसे संपादक मंडल/निगम का सहमत होना जरुरी नही है

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23215487
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

मुखमीत सिंह भाटिया, आई.ए.एस.
महानिदेशक

संख्या : ए-49/17/1/2016-रा.भा.
दिनांक : २५.०२.२०२२

संदेश

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा गृहपत्रिका **'संकल्प'** के बारहवें अंक का प्रकाशन हर्ष की बात है। किसी भी कार्यालय की गृहपत्रिका उस कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हिंदी के प्रति प्रेम का द्योतक है। हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में संपूर्ण देश को जोड़ने वाली एकमात्र भाषा हिंदी ही है। हमारा संगठन सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है, जहां हम श्रमिकों के लिए कार्य करते हैं। अत: यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम बीमाकृत व्यक्तियों से सरल तथा सहज हिंदी में बात करें, सरल हिंदी का प्रयोग करें।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं।

मु. भाटिया
२५/२/२२
(मुखमीत सिंह भाटिया)

श्री सत्यजीत कुमार
क्षेत्रीय निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पटना, बिहार।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**)

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23215487
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

मनोज कुमार शर्मा
बीमा आयुक्त (राजभाषा)

सं. ए-49/17/3/2016-रा.भा.
दिनांक : 23.02.2022

संदेश

यह हर्ष की बात है कि क्षेत्रीय कार्यालय, पटना अपनी गृहपत्रिका **'संकल्प'** के बारहवें अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। गृहपत्रिका का प्रकाशन एक ओर कार्मिकों को रचनात्मक अभिव्यक्ति हेतु मंच प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार भी होता है जो हमारा संवैधानिक दायित्व है। आशा है कि यह पत्रिका अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होगी।

पत्रिका के प्रकाशन के लिए सभी कार्मिकों को शुभकामनाएं।

(मनोज कुमार शर्मा)

श्री सत्यजीत कुमार
क्षेत्रीय निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पटना

संरक्षक की कलम से

भाषा, भावों की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। भाषा जितनी उन्नत एवं सरल होती है लोग उसका प्रयोग उतना ही बेहतर ढंग से करते हैं। विचारों को अपनी मातृभाषा में सहजता से प्रस्तुत किया जाता है और जब मातृभाषा हिंदी जैसी मीठी, सरल एवं भारत के विशाल जनसमुदाय की भाषा हो तो उसके क्या कहने!

स्वतंत्रता प्राप्ति में हिंदी का बहुमूल्य योगदान रहा है और यह हमारे संस्कृति की पहचान है। आज विश्व पटल पर हमारे देश की अच्छी छवि का एक महत्वपूर्ण कारण हिंदी भाषा भी है। अपने देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारा कार्यालय राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में स्थित है इसलिए हिंदी में कार्यों का निष्पादन हमारा संवैधानिक दायित्व है। हिंदी भाषा-भाषी होने के कारण हमलोगों के लिए कार्यालय का कार्य हिंदी में करना सहज एवं सामान्य है। इसके अतिरिक्त, हमारा संगठन मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कार्य करता है, जिनके लिए हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा में संवाद स्थापित करना एवं जानकारी उपलब्ध करवाना आसान है। क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार हिंदी के प्रचार प्रसार में हमेशा तत्पर है और कार्यालय का ज्यादातर कार्य हिंदी में संपादित करने को प्रोत्साहन देती है।

इस क्रम में, गृहपत्रिका का प्रकाशन भी हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच मिलता है। गृहपत्रिका में हमारे संगठन के कार्यकलापों की जानकारी भी शामिल होती है जो बीमाकृत व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी है।

इसी कड़ी में बिहार क्षेत्र अपनी गृहपत्रिका 'संकल्प' का बारहवां अंक लेकर प्रस्तुत है। आशा है आपको यह पत्रिका पसंद आएगी।

सत्यजीत कुमार

क्षेत्रीय निदेशक

सम्पादकीय

किसी भी क्षेत्र से गृहपत्रिका का प्रकाशन निश्चय ही हर्ष की बात है और इसी श्रृंखला में बिहार क्षेत्र की गृहपत्रिका 'संकल्प' का बारहवां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। विगत दो वर्षों से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस दौरान अकेलेपन की वजह से बड़ी संख्या में लोग अवसादग्रस्त हुए हैं, पर इनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए अपने किसी पुराने शौक को उभारा है। नई-पुरानी किताबें पढना, कविता-कहानियां लिखना, गायन-वादन आदि कई ऐसे शौक हैं जिसे व्यक्ति समयाभाव के कारण पूरा नहीं कर पाता। हमारे कार्मिकों ने भी इस दौरान अपनी रचनाधर्मिता दर्शाई है। गृहपत्रिका ऐसे कार्मिकों को लेखन के लिए एक मंच प्रदान करती है।

लेखन अपने मनोभावों को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है जो किसी भी भाषा में किया जा सकता है। हमारे देश में कई भाषाएँ बोली जाती हैं और इन सब भाषाओं को एक कड़ी के रूप में जोड़ने का काम हिंदी करती है। संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा अर्थात संघ के काम काज की भाषा का दर्जा दिया गया है अतएव केंद्र सरकार के कार्मिक होने के नाते हिंदी में काम करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। और समाज के जिस वर्ग के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है, उनके लिए हिंदी ज्यादा सरल और सहज है।

पत्रिका के इस अंक में एक ओर हिंदी की विकास यात्रा को दर्शाया गया है वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 के अंतर्गत क.रा.बी.अधिनियम पर भी प्रकाश डाला गया है। संगठन के कार्यकलाप के साथ-साथ राजभाषा उपबंधों का भी उल्लेख हैं। कार्यालय प्रयोग हेतु नेमी टिप्पणियां भी दी गयी हैं। राजभाषा शाखा एवं अन्य रचनाकारों के प्रयासों से ही यह अंक आपके समक्ष आ पाया है।

आशा है आपको यह अंक पसंद आएगा। अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं ताकि अगले अंक को बेहतर बनाया जा सके।

श्वेता सिन्हा

सहायक निदेशक (रा.भा.)

अनुक्रमणिका

क्रम सं.			पृष्ठ सं.
1.	आजादी के 75 वर्षों में हिंदी का विकास	–नितीश कुमार	12
2.	क्षेत्रीय परिषद् की 76वीं बैठक का आयोजन	–सत्यजीत कुमार, क्षे.नि.	16
3.	सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम		18
4.	हिंदी की वैज्ञानिकता	–वृजेन्द्र कुमार	20
5.	राजभाषा पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस समारोह, 2021		21
6.	राजभाषा हिंदी के अनुपालन के लिए ध्यान देने योग्य बातें		25
7.	कार्यालयी प्रयोग की नेमी टिप्पणियां		26
8.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन) योजना		29
9.	टेलीमेडिसीन	–अश्वनी कुमार	30
10.	अभिज्ञानशाकुन्तलम् का पंचम अंक	–अनिल कुमार	32
11.	एक युग–अवसान पर	–प्रमोद कुमार निराला	35
12.	निस्तब्धता	–साभार : सोशल मीडिया	36
13.	कोरोना का शिक्षा पर प्रभाव	–विन्दु वासिनी शर्मा	38
14.	डर	–स्वाति गुप्ता	40
15.	पुरानी कहानी	–राजीव कुमार	41
16.	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज		42
17.	कोष मूलो दण्ड	–अश्वनी कुमार	43
18.	तू क्या है मेरे लिए	–तरन्नुम कहकशां	45
19.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम : सामाजिक सुरक्षा का पर्याय	–शिव सुन्दर चौधरी	46
20.	तन्हाई में भी अच्छाई है	–तरन्नुम कहकशां	48
21.	बाधा	–श्वेता सिन्हा	49
22.	वात्सल्य	–मालविका	50
23.	ज्ञान का प्रसार	–प्रत्यूष कश्यप	51
24.	जय, जय, जय, सूर्य भगवान	–प्रत्यूष कश्यप	52
25.	संस्था	–श्वेता सिन्हा	53
26.	कोयल एवं मेढ़क	–अर्नव	55

आइकोनिक सप्ताह (07.03.2022 से 13.03.2022) के दौरान आयोजित कार्यक्रम

मुख्यालय के निदेशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आइकोनिक सप्ताह (07.03.2022 से 13.03.2022) के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 07.03.2022 को क०रा०बी०निगम, बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आइकोनिक सप्ताह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अविनाश कुमार, चिकित्सा निर्देशी डॉ. संतोष कुमार, उप निदेशक संजय कुमार, सहायक निदेशक राकेश कुमार, जयंत कुमार सहित नियोजक एवं बीमाकृत व्यक्ति भी उपस्थित थे। बीमाकृत व्यक्तियों को क०रा०बी०निगम द्वारा दिए जा रहे विभिन्न हितलाभों के साथ-साथ कोविड रहत योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आदि की जानकारी दी गयी।

आजादी के अमृत महोत्सव पर किया गया आईकोनिक वीक का उद्घाटन

कार्यालय संवाददाता

पटना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सोमवार को आजादी के अमृत महोत्सव पर क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार द्वारा आईकोनिक वीक का उद्घाटन किया गया। पंचदीप प्रज्वलन का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया एवं इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम ईएसआईसी के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। उप निदेशक संजय कुमार ने बताया कि हमारा देश आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर 7 से 13 मार्च तक आईकोनिक वीक मनाया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर एवं बीमाकृत व्यक्तियों के शिकायतों एवं लोक शिकायतों के त्वरित निष्पादन का लक्ष्य के बारे में बताया। डॉ. संतोष कुमार ने आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसे 12 मार्च 2021 से प्रारंभ कर 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह तक मनाया जाना है। उन्होंने इसके उद्देश्यों यथा आजादी के अमर शहीदों को नमन, देश की उन्नति के लिए नए सुझाव, उनका क्रियान्वयन, उपलब्धियों पर विचार करना आदि पर चर्चा की। सभा को संबोधित करते हुए अश्विनी कुमार सहायक ने बताया कि देश आजादी के 75वें वर्ष के साथ हमारे निगम का भी 70 वर्षों का अमृत काल पूर्ण हो चुका है। निगम ने भी इस दौरान बहुत प्रगति की है। हमें इसे इसी तरह और आगे बढ़ाना है। मौके पर राज्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अविनाश कुमार, डॉ. भावेश कुमार, चिकित्सा सतर्कता अधिकारी, डॉ. संतोष कुमार, चिकित्सा निर्देशी, संजय कुमार, उप निदेशक, राकेश कुमार, सहायक निदेशक, आलोक कुमार मिश्र, सहायक निदेशक, प्रमोद कुमार निराला, सहायक निदेशक सहित अन्य मौजूद थे।

आइकोनिक सप्ताह के उद्घाटन पर क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों सहित नियोजकों एवं बीमाकृत व्यक्तियों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय निदेशक

08.03.2022

08.03.2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा महिला अधिकारियों तथा बीमाकृत महिला के साथ पंचदीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक ने दिवंगत बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रितों को आश्रित हितलाभ भी प्रदान किया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचदीप प्रज्वलन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क०रा०बी० निगम अस्पताल, बिहटा तथा क०रा०बी०आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ में विशेष रूप से बीमाकृत महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। क०रा०बी०योजना के अंतर्गत व्याप्त बीमाकृत महिलाएं इस शिविर में उपस्थित थीं।

क०रा०बी०आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्घाटन...

स्वास्थ्य जांच शिविर से पूर्व क्षेत्रीय निदेशक का संबोधन

क०रा०बी०आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ में जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर

09.03.2022 : क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, बिहार में सुविधा समागम का आयोजन

09.03.2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में क०रा०बी० के लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु सुविधा समागम का आयोजन किया गया। बीमाकृत व्यक्तियों की शिकायतों का स्थल पर ही निबटान किया गया तथा नियोजक के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को भी नोट किया गया।

'आइकोनिक वीक' मे सत्यजीत कुमार ने कहा-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लंबित रहने के मामलों में कमी आई है इसे शीघ्र अद्धतन कर लिया जाएगा

राष्ट्रीय सागर संवाददाता

पटना : देश आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस उपलक्ष्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 07 मार्च से 13 मार्च तक 'आइकोनिक वीक' मनाया जा रहा है` इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में सुविधा समागम का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता क.रा.बी निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने की। बैठक में भारतीय मजदुर संघ के डॉ सियाराम शर्मा निदेशक चिकित्सा सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार सरकारए डॉ. निर्मल तिवारी चिकित्सा अधीक्षक कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल फुलवारी शरीफ डॉ. राजेश कुमार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल बिहटा से डॉ. साकेत कुमार राज्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अविनाश कुमार चिकित्सा निदेर्शी डॉ. संतोष कुमार उप निदेशक संजय कुमार तथ सहायक निदेशक जयंत कुमारए प्रमोद कुमार निराला सहायक निदेशक राजभाषा एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे बैठक में काफी संख्या में बीमित व्यक्ति एवं उनके परिजन उपस्थित हुए। बैठक में लाभार्थियों के हितलाभ सम्बन्धी आई परेशानियों के मामलों का निपटान किया गयो क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के लंबित रहने के मामलों में कमी आई है तथा शीघ्र ही इसे अद्धतन कर लिया जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, पटना परिसर में सुविधा समागम का आयोजन

10.03.2022

मंगल तालाब पॉवर सब-स्टेशन में क०रा०बी० आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ तथा क०रा०बी० मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहटा के सहयोग से जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

ईएसआईसी ने मंगल तालाब सब-स्टेशन में लगाया हेल्थ कैम्प

पटना सिटी, प्रात किरण संवाददाता

केंद्रीय श्रम मंत्रालय के निर्देश पर ईएसआईसी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगल तालाब सब-स्टेशन में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। 15 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम द्वारा 167 श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच कर दवा प्रदान की गई।

कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने किया तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कार्य के दौरान दो कर्मचारियों की दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले का निष्पादन करने की घोषणा की गई। सरकार की इस व्यवस्था के तहत उन दिवंगत कर्मियों को मिल रहे वेतन का 90 फीसदी राशि हर माह पेंशन के रूप में उनके आश्रितों को जीवनपर्यंत दिया जाएगा। इसमें कटरा के रोहित कुमार की मौत 17 दिसम्बर, 21 और मंगल तालाब के संजय कुमार की छह दिसंबर, 21 को हुई थी। दोनों का रोजगार चोट स्वीकार कर लिया गया है।

ईएसआईसी ने हाल ही में बिहटा अवस्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 330 बेड के अस्पताल व मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू किया है। सौ सीटों पर एमबीबीएस कोर्स में नामांकन किया जा चुका है तथा सरकार देश भर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों के सीटों का एक निश्चित प्रतिशत ईएसआईसी के दायरे में आने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए रिजर्व रखती है।

ईएसआई अधिनियम 1948, वैसे सभी संस्थानों पर लागू होता है, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। इसमें श्रमिकों के वेतन का चार प्रतिशत हिस्सा प्रति माह सरकार को नियोक्ता जमा करते हैं। अनुपालन न करने वाले संस्थानों पर मुख्यालय के निर्देश पर छापेमारी और वसूली की कार्रवाई भी की जाती है, ताकि देश में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिविर में डॉ अश्वनी, डॉ पीसी मिश्रा, डॉ रोहित, डॉ फातिमा, डॉ परेश, डॉ मृत्तिका, सहायक अश्वनी कुमार आदि शामिल थे।

मंगल तालाब पॉवर सब स्टेशन, पटना सिटी, पटना में जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

आज़ादी के 75 वर्षों में हिंदी का विकास

नितीश कुमार

प्र.श्रे.लिपिक

एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है बल्कि, यह हमारे जीवन-मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक है। बेहद सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। साथ ही यह हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता, जन आंदोलन एवं आधुनिक प्रगति के बीच वर्तमान में राजभाषा के रूप में एक सेतु सरीखी भूमिका अदा करती है।

राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

चूँकि, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। अतएव संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के आशय का प्रस्ताव रखा गया था। किंतु, संविधान सभा में आपसी मतभेदों की परिणति में इसे राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में दिनांक 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 के अधीन अनुच्छेद 343-351 के अंतर्गत स्वीकारा गया था। गौरतलब है कि इस निर्णय को विशिष्ट महत्व प्रदान करने हेतु वह हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने हेतु 1953 के उपरांत प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

चूँकि, भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है जबकि हिंदी राजभाषा के रूप में है। अतएव यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत न केवल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है बल्कि, एक भाषा निरपेक्ष राष्ट्र भी। गौरतलब है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ-साथ 11 राज्यों व तीन संघ शासित प्रदेशों की प्रमुख राजभाषा भी है।

राजभाषा हिंदी का उतरोत्तर विकास

असहयोग आंदोलन के भाषायी एकरूपता के आधार पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में उभरने के कारण सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की थी। चूँकि, भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है, जहां प्रशासन और लोगों के मध्य संवाद स्थापित करने हेतु ऐसी भाषा का चुनाव किया जाना चाहिए था जो बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती हो। ऐसे में हिंदी अपेक्षाकृत उपयुक्त सिद्ध हो रही थी जिसे आजादी के सूत्रधार रहे राजनेताओं का भी समर्थन प्राप्त था। गौरतलब है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में कभी तीखी बहसें हुई, तो कभी शानदार वक्तव्यों ने अन्य सदस्यों को मेज थपथपाने पर मजबूर कर दिया। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा की सबसे तीखी बहस हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने को लेकर ही हुई थी।

संविधान में राजभाषा हिंदी को शामिल किए जाने के दौरान व अब तक अर्थात आजादी के 75 वर्षों में इस के उत्तरोत्तर विकास को निम्न तीन खंडों में बांटकर बिंदुवार में देखा जा सकता है :–

1. राजभाषा हिंदी का संसदीय विकास
2. न्यायपालिका और संसद की भाषा के रूप में हिंदी का विकास
3. राजभाषा हिंदी का आधुनिक व्यावहारिक विकास

राजभाषा हिंदी का संसदीय विकास

- विदित हो कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी सहित 14 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में रखा गया था। संविधान के मुताबिक 26 जनवरी, 1965 में हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर देश की आधिकारिक भाषा बनना था और उसके बाद हिंदी में ही विभिन्न राज्यों को आपस में केंद्र के साथ संवाद करना था।
- ऐसा आसानी से हो सके इसके लिए संविधान में प्रत्येक 5 वर्ष व पुनः 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेंगे जो हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने व अन्य संबंधित मामलों में सिफारिशें करेगा। साथ ही आयोग की सिफारिशों का अध्ययन व राष्ट्रपति को इस संबंध में अपने विचार देने के लिए एक संसदीय समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई थी।
- तत्पश्चात 1955 में राष्ट्रपति द्वारा बी जी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 1956 में अपनी सारगर्भित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। हालांकि 1960 में संविधान में कल्पित क्रमशः दूसरे आयोग का गठन नहीं किया गया।
- गौरतलब है कि देश को आजादी के बाद के 20 वर्षों में भाषा के मुद्दे ने सर्वाधिक परेशान किया था और एक समय तो स्थिति इतनी प्रतिकूल हो गई थी कि भाषा-विवाद की परिणति में देश का विखंडन अवश्यंभावी दिखने लगा था। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वालों को डर था कि हिंदी के लागू हो जाने से उत्तर भारतीयों के मुकाबले विभिन्न क्षेत्रों में वो कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे में हिंदी को लागू करने और न करने के संघर्षशील आंदोलनों के बीच वर्ष 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया जिसमें 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को निरस्त कर दिया गया। हालांकि, हिंदी का विरोध करने वाले इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और वे संशय में थे कि पंडित नेहरू के बाद इस कानून में मौजूद कुछ अस्पष्टता फिर से उनके विरुद्ध जा सकती है।
- 26 जनवरी 1965 को हिंदी देश की राजभाषा बन गई और इसके साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों खासतौर पर तमिलनाडु (तत्कालीन मद्रास) में आंदोलनों और हिंसा का एक जबरदस्त दौर चला जहां कई छात्रों के आत्मदाह ने आंदोलन को रक्तरंजित कर दिया।
- इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रहीं इंदिरा गांधी के प्रयासों से इस समस्या का समाधान ढूंढा गया जिसकी परिणति 1967 में राजभाषा कानून में संशोधन के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के जरिए अंग्रेजी को देश की राजभाषा के रूप में तब तक आवश्यक मान लिया गया जब तक कि गैर हिंदी भाषी राज्य ऐसा चाहते हो। गौरतलब है कि आज तक यही व्यवस्था चली आ रही है।

न्यायपालिका व संसद की भाषा के रूप में हिंदी का विकास

- राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम व उप नियमों के हिंदी में अनुवाद अधिकारिक लेख माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसद में प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक के साथ इसका हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। हालांकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो केवल अंग्रेजी में होंगें

न्यायपालिका व संसद की भाषा के रूप में हिंदी का विकास

- भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को अभूतपूर्व रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है जो न केवल सर्वसाधारण तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है बल्कि हिंदी के उत्थान में मील का पत्थर साबित होता प्रतीत हो रहा है।

- भारत सरकार द्वारा 'विश्व हिंदी सम्मेलन' व 'प्रवासी भारतीय दिवस' के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। परिणामस्वरूप विश्व भर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि उन्हें स्कोर की 7 भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है जो कि हिंदी के विकास में एक बड़ी उपलब्धि सिद्ध होती हुई प्रतीत होती है।
- भारतीय विचार और संस्कृति के प्रवक्ता का श्रेय हिंदी को ही प्राप्त है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रयासरत है। उम्मीद है कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो सकेगा यदि ऐसा संभव होता है तो निसंदेह यह उपलब्धि हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
- हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है।
- पिछले वर्ष हिंदी दिवस के मौके पर राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक के सहयोग से तैयार किए गए लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (लीला) के मोबाइल ऐप का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। गौरतलब है कि इस ऐप से देशभर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को हिंदी सीखने समझने तथा कार्य करने में अप्रतिम सुगमता होगी।
- केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग के द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। इसी क्रम में आयोग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रणाली विकसित की गई है जिससे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के उतरोत्तर प्रयोग व विकास की सूचना प्राप्त हो सकेगी। सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइट को हिंदी में तैयार कर ली है जिससे सर्वसाधारण को लाभ के साथ हिंदी का विकास भी सुनिश्चित हो जाता है।
- हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए रविंद्र नाथ टैगोर ने कहा कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हिंदी के इसी सारगर्भित महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां भी इसे अपने क्रियान्वयन में समाहित कर रही है। गौरतलब है कि विश्व की शीर्षतम कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पादों को हिंदी में बनाना भी शुरू कर दिया है।

  इतना ही नहीं जितनी भी मोबाइल कंपनियां है सभी ने अपने हैंडसेट में भारतीय भाषाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। यह संदर्भ इस तथ्य का पुरजोर समर्थन करता है कि न केवल भारतीय पृष्ठभूमि में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हिंदी भाषा का उल्लेखनीय वर्चस्व है।
- हाल ही में यह देखा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सीबीएसई के सभी विद्यालयों तथा सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 10 तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है तथा भारत के राष्ट्रपति और मंत्री जल्द ही अपने भाषणों को केवल हिंदी में देने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में इस आशय का तल्ख एहसास भी सताता है कि गैर हिंदी भाषी राज्य विरोध में अपनी आवाज फिर से बुलंद कर सकते हैं।
- एक बात ध्यान देने योग्य है कि अपने शैशवकाल से लेकर आज तक इंटरनेट ने जो सीढ़ियां चढ़ी है, अपने आप में निश्चित तौर पर प्रतिमान हैं। किंतु, जितनी प्रसिद्धि हिंदी वेबसाइटों को मिलती है उतनी किसी अन्य को नहीं। उक्त सारगर्भित संदर्भ इस तथ्य का पुरजोर समर्थन करती है कि भारत में कोई भी वस्तु तब तक नहीं प्रचलित होती है जब तक कि उसमें भारतीयता का पुट न सम्मिलित हो।
- चाहे वह बैंक एटीएम हो या किसी सरकारी या गैर सरकारी सभी प्रकार के डिजिटल माध्यमों में हिंदी के विकास ने हिंदी की पहुँच को सुनिश्चित किया है।
- हिंदी भाषा की जितनी मांग है, इंटरनेट पर उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। किंतु, यह भी कम सत्य नहीं है कि जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है, उसी प्रकार से हिंदी भी इंटरनेट पर छाई रही है। यह समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग

तक में अपनी अभीष्ट उपस्थिति दर्ज कर रहा है। साधुवाद तो गूगल को भी जाता है, जिसने हिंदी में खोज करने की जगह उपलब्ध कराई है।

राजभाषा हिंदी के विकास के समक्ष चुनौतियाँ एवं आगे की राह

गौरतलब है कि निम्न विश्लेषित कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हे हिंदी के सबसे आक्रामक तरफदार अक्सर भूल जाते हैं। ऐसे में सरकार को इन आक्रामक भाषायी अंधराष्ट्रीयतावादी के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषा के नाम पर एक और नई जंग विकास के पथ पर अग्रसर भारत के पैरों की बेडियाँ बनने का ही कार्य करेंगी :—

- यह सर्वविदित है कि भारत बहुभाषी देश है, जहां अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग भाषाएं और बोलियां अस्तित्व में हैं। लेकिन, राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी भाषा नहीं है जिसे भारत की विविधताओं को समेकित करने वाली कही जा सके। हालांकि, अतीत में भाषा को लेकर जिस तरह के विवाद हो चुके हैं, उनके मद्देनजर हिंदी को प्रोत्साहित करते समय इसका भी ध्यान रखना अपेक्षित होगा कि इसकी वजह से दूसरी भाषाओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े अर्थात इसका स्वरूप समावेशी प्रकृति का होना चाहिए।
- उत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में साधारण लोगों की बोलचाल व पढ़ाई लिखाई से लेकर संस्थागत स्तर तक हिंदी को तरजीह प्राप्त है। किंतु, इसके अलावा भी देश के ज्यादातर इलाकों में हिंदी ने जैसी जगह मुकम्मल की है उसमें विकास और प्रसार की बड़ी संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। हालांकि, यह तभी संभव हो पाएगा जब सरकार के स्तर पर इसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए और कुछ मामलों में इसे अनिवार्य भी बनाया जाए।
- इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। ऐसे में आज के तकनीकी युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी को बढ़ावा दिया जाना एक सार्थक प्रयास साबित होगा जिसके अभिभावकीय अभिव्यक्ति में देश की प्रगति हेतु ग्रामीण जनसंख्या सहित समग्र भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। तथापि हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो, को भी सुनिश्चित करने की दरकार है।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी इंटरनेट की एक अहम लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी है। ऐसे में जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर और अधिक मात्रा में संप्रेषित करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि सारी सामग्री हिंदी में भी इंटरनेट पर मिलने लगेगी। इस दृष्टि से वैश्विक भाषाओं की रचनाओं का किया जा रहा हिंदी अनुवाद, हिंदी भाषा के विकास में आमूलचूल परिवर्तन का द्योतक साबित होगा।

राजभाषा हिंदी के विकास के विभिन्न पहलुओं के समग्र विश्लेषनात्मक अध्ययन से हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र अपनी शैशवावस्था में ही भाषायी विवादों में घिसटकर लहूलुहान हो चुका है, किन्तु, अब हम एक परिपक्व लोकतंत्र भी हैं। यह सत्य है कि आज हिंदी धीरे-धीरे देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गरिमा के प्रवक्ता के रूप में स्थापित हो रही है एवं इसका श्रेय हिंदी सिनेमा और टेलीविजन, प्रवासन, इंटरनेट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तकनीक तथा विविध संस्कृतियों का आपस में घुलने मिलने को जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी को संवाद शून्यता खत्म करने वाली भाषा के रूप में देखा जा रहा है किंतु इसे क्षेत्रीय भाषाओं की उपयोगिता व लोगों के भावनाओं की बलि देकर नहीं स्वीकारा जाना चाहिए। चूंकि, राजभाषा हिंदी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की अभिभावक होने के साथ साथ विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी है और विदेशी भाषाओं के अनुवाद सम्पर्क में भी है। ऐसे में यदि राजभाषा हिंदी के विकास को समावेशी उद्देश्यों हेतु उल्लेखित त्वरित युक्तियों से सिंचित किया जाए तो यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगामी वर्षों में यह संयुक्त राष्ट्र सभा की कार्यकारी भाषा के रूप में भी चयनित हो सकती है।

क्षेत्रीय परिषद् की 76वीं बैठक का आयोजन

सत्यजीत कुमार

क्षेत्रीय निदेशक

क.रा.बी.निगम में सेवा प्रदान करते हुए यह मेरा 12वाँ साल है। इस गौरवशाली सामजिक सुरक्षा संस्था से जुड़ने पर निम्न आय वर्ग के जरुरतमंदों को नजदीक से समझने एवं सेवा प्रदान करने का अवसर मिला। किताबी एवं सैद्धांतिक बातों से हटकर जमीनी स्तर पर कार्य करना एवं क.रा.बी. योजना के हितलाभ को लाभार्थियों तक बेहतर ढंग से पहुँचाने का अवसर हमेशा ही सुखद अहसास देता है।

2020 के 31 मार्च को तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक की सेवानिवृत्ति के उपरांत बिहार क्षेत्र की जिम्मेदारी मुझे दी गयी। सर्वविदित है कि कोरोना महामारी एवं उसके दुष्प्रभावों का असर पूरे देश को अपने चपेट में ले चुका था। ऐसे अभूतपूर्व चुनौतीपूर्ण स्थिति में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे लिए भी एक प्रकार से चुनौतियों से भरा रहा लेकिन सार्थक सोच एवं अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से इसका डट कर सामना किया और सफलतापूर्वक कार्यालय चलाया।

इस संस्था के साथ कार्य करते हुए यह समझ में आया कि क.रा.बी. योजना को धरातल पर उतारने एवं इसमें सुधार के लिए कार्यालयीन कार्य के अलावा क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद् की बैठक की जो परिकल्पना की गयी है उसमें कैसे सार्थक निर्णय लिया जाता है। 76वीं बैठक के आयोजन से पूर्व एक अधिकारी के रूप में मुझे दो क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में भाग लेने का अवसर मिला था। उस दौरान क्षेत्रीय परिषद् की बारीकियों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ था जो मेरे लिए काफी सहायक भी साबित हुआ।

क्षेत्रीय परिषद् की 76वीं बैठक के आयोजन का प्रयास 2020 से ही चल रहा था जो कोरोना एवं लॉकडाउन के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। कोरोना के पहले वेव के बावजूद इसके आयोजन का प्रयास किया गया लेकिन इसका आयोजन नहीं हो सका। जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो पुनः इसके आयोजन की पहल की गयी। मुख्यालय ने भी इसके आयोजन का निर्देश जारी कर दिया था जिसको ध्यान में रखते हुए एवं इसकी महत्ता को देखते हुए मैंने अध्यक्ष सह माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग से मुलाक़ात कर इसके आयोजन का अनुरोध किया। उन्होंने दिसम्बर, 2021 के दूसरे सप्ताह में इसके आयोजन का मौखिक आदेश दिया, पर कतिपय कारणों से 2021 में इसका आयोजन नहीं हो सका।

एक बार फिर से नए साल में इसके आयोजन का प्रयास किया गया इस बार इसके आयोजन की सूचना प्राप्त हुई और इसकी तिथि 02 फरवरी, 2022 निर्धारित की गयी। इसके आयोजन की सूचना सभी माननीय सदस्यों को दी गयी। बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची पहले ही अध्यक्ष महोदय को भेजी जा चुकी थी। इधर अध्यक्ष महोदय ने ई.एस.आई.योजना एवं इसके कार्यकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी की इच्छा जाहिर की और इसकी तिथि 30.01.2022 निर्धारित की गयी। 30.01.2022 को निर्धारित समय के अनुसार प्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई। अध्यक्ष महोदय को ई.एस.आई.सी.के बारे में बताया गया। उन्होंने इसके बारे में कई प्रश्न पूछे। प्रेजेंटेशन समाप्ति के पश्चात इस योजना के बारे में जानकारी पाकर उन्होंने खुशी जाहिर की। यह बैठक करीब दो से ढाई घंटे तक चली होगी। इधर इस दौरान क्षेत्रीय परिषद् के आयोजन स्थल, स्टेशनरी, जलपान मिनट टू मिनट प्रोग्राम इत्यादि की व्यवस्था की जा रही थी जिसे एक समिति बनाकर कार्यान्वित किया जा रहा था। बैठक के सफल आयोजन के लिए मैं आशान्वित था पर थोडा

चिंतित भी था चूंकि सदस्य सचिव के रूप में क्षेत्रीय परिषद् की यह मेरी पहली बैठक थी इसलिए मैं उत्साहित था और साथ ही, सारी तैयारी अच्छे से करना चाहता था। 01.02.2022 को सारी तैयारियों का जायजा लिया और घर चला गया।

आखिरकार प्रतीक्षित 02 फरवरी, 2022 का दिन आया। उस दिन पूरे उत्साह के साथ सभी दस्तावेजों सहित नियोजन भवन, बैठक के आयोजन स्थल पहुंचा। सभी माननीय सदस्यगण समय पर आयोजन स्थल पर पहुँच चुके थे। माननीय अध्यक्ष महोदय के पहुंचते ही बैठक शुरू हो गयी। उनका एवं सभी माननीय सदस्यों के स्वागत के उपरांत बैठक की कार्रवाई शुरू की गयी। पिछले कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात कार्यसूची की सभी मदों पर गहनता से चर्चा हुई और बिहार में ई.एस.आई.योजना और लाभार्थियों के हित में कई अहम् निर्णय लिए गए। सभी सदस्यों ने बैठक में काफी उत्साह दिखाया।

अंत में, अध्यक्ष महोदय बैठक के आयोजन से संतुष्ट दिखे। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय परिषद् की बैठक हर तीन माह में आयोजित कराने का आदेश दिया और बैठक समाप्त हुई।

बैठक समाप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय लौटकर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद किया। टीम बिहार के सहयोग से बैठक के सफलतापूर्वक आयोजन के पश्चात् एक सुखद अहसास की अनुभूति हुई।

सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

क.रा.बी.अधिनियम, 1948 को अन्य आठ केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के साथ, सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड में (2020 का अधिनियम 36) समाहित कर लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 को 01.07.2021 से प्रभावी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय) नियमावली, 2020 नामक मसौदा नियमों को 13.11.2020 को भारत के गजट में पणधारियों (Stakeholders) के परामर्श के लिए अधिसूचित किया है।

कोड में क.रा.बी अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध हितलाभों को बनाए रखा गया है। क.रा.बी.योजना सहित सामाजिक सुरक्षा कोड के किसी भी सदस्य अथवा लाभार्थी को इस सामाजिक सुरक्षा कोड की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार हितलाभ प्राप्त करने के लिए उनका आधार डाले जाने की जरुरत होगी।

सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 में, क.रा.बी.योजना के अंतर्गत व्याप्ति का विस्तार, पूरे भारतवर्ष के अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों में वैसे सभी संस्थानों, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, कर दिया गया है। तथापि, नियोजकों तथा कर्मचारियों से अंशदान, क.रा.बी.निगम द्वारा ये सुविधाएँ जमीनी स्तर पर उपलब्ध कराए जाने के बाद ही लिए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 के प्रथम अनुसूची के साथ पठित धारा 1(7) के अनुसार, जिन संस्थानों में 10 से कम व्यक्ति नियोजित हैं, के स्वैच्छिक व्याप्ति का भी प्रावधान है। वृक्षारोपण को भी एक संस्थान के रूप में, नियोजक की इच्छा पर, कोड के अंतर्गत व्याप्ति का प्रावधान किया गया है। क.रा.बी. के अंतर्गत व्याप्ति में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है कि कोड की प्रथम अनुसूची (पूर्वोक्त) के उपबंध के अनुसार घातक या जोखिम वाले व्यवसाय से जुड़े संस्थानों में नियोजक को प्रत्येक नियोजित कर्मचारी को व्याप्त करना होगा। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा घातक एवं जोखिम वाले उद्योगों को अधिसूचित करेगी।

कोड के अंतर्गत असंगठित कामगारों, गिग (Gig) कामगारों, प्लेटफार्म कामगारों तथा अन्य लाभार्थियों के लिए विशेष योजना का प्रावधान है। देश के असंगठित कामगारों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) तैयार करने के लिए गिग (Gig) कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए अगस्त, 2021 में ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया। इस पोर्टल में गिग तथा प्लेटफार्म कामगारों के स्व-पंजीकरण की सुविधा है।

यदि कोई कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वह मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के मामले में रु० दो लाख तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रु० एक लाख प्राप्त करने का हकदार होगा।

गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म कामगार न्यूनतम मजदूरी के पात्र हैंः मजदूरी कोड, 2019 में परिकल्पना की गयी है कि सभी कामगार, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में, न्यूनतम मजदूरी के हकदार होंगे। यह कोड, अन्य बातों के साथ साथ, विविध मजदूरी अवधि के लिए कार्य-समय यथा प्रति घंटा, दैनिक या मासिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करता है। हमारे देश में 02 दिसम्बर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर लगभग 7,29,477 गिग/प्लेटफ़ॉर्म कामगार पंजीकृत हैं।

गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म कामगारः भारत में पहली बार, नए पारित लेबर कोड गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह पहली बार है कि भारत में गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को कानून में परिभाषित किया गया है। सामान्यतः गिग कामगार वे हैं जो ऑन कॉल से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक हर चीज में प्रति घंटे या अंशकालिक (पार्ट टाइम) कार्य में लगे हों। वे स्वतंत्र कामगार, टास्क/प्रोजेक्ट आधारित, मांग किए जाने पर, अंशकालिक कामगार आदि के रूप में जाने जाते हैं।

गिग कोई नया शब्द नहीं है। इसकी उत्पत्ति तथा प्रसार 1920 में ही पाया गया है जहाँ इसका प्रयोग सिर्फ फ्रीलांसर तक ही सीमित था। वर्तमान में विशेषकर वर्ष 2000 से डिजिटाइजेशन तथा इन्टरनेट एवं स्मार्ट फ़ोन के बढ़ते प्रयोग के कारण, इसने श्रम बाजार में प्रमुखता प्राप्त कर ली है। डिजिटाइजेशन ने ऐसे कामगारों को रोजगार बाजार में इन्टरनेट, कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फ़ोन के प्रयोग के माध्यम से अपनी क्षमता दिखने का अवसर प्रदान किया है।

सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 की धारा 2 (35) के अंतर्गत गिग कामगार को ऐसे कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी काम की व्यवस्था करता है या उसे संपादित करता है तथा पारंपरिक नियोजक-कर्मचारी संबंध के बाहर इन गतिविधियों से अर्जन करता हैः—

गिग कामगारों की विशेषताएंः

- सामाजिक सुरक्षा कोड,2020 की धारा 2 (35) गिग कामगारों को परिभाषित करती है।
- फ्रीलांसर, स्वतंत्र कामगार, टास्क/प्रोजेक्ट आधारित, मांग किए जाने पर, अंशकालिक कामगार आदि गिग कामगारों की परिधि में आ सकते हैं। यहाँ तक कि पार्ट टाइम प्रोफेसर, शिक्षक, ब्युटीशियन, नाई आदि को भी गिग कामगारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- उनकी अपने नियोजकों एवं साझा व्यक्ति, जो कार्य सम्पादित करते हों या जिनकी कार्य व्यवस्था में सहभागिता हो, के साथ गैर पारंपरिक कार्य व्यवस्था होती है तथा गैर पारंपरिक नियोजक-कर्मचारी समबन्ध से अर्जन करते हैं।

यह कार्य सामान्यतः अंशकालिक होता है तथा निर्धारित समयावधि में पूरा करना होता है

हिंदी की वैज्ञानिकता

ब्रिजेन्द्र कुमार

आई.टी.सहायक

हिंदी भाषाओं के वर्णमाला में ज्ञान के साथ विज्ञान भी समाहित है।

आज के वर्तमान समय के शिक्षा मे अंग्रेजी के चकाचौंध में रह रहे छात्रों को यह भी नहीं पता होगा कि भारतीय भाषाओं की वर्णमाला विज्ञान से भरी है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर तार्किक है और सटीक गणना के साथ क्रमिक रूप से रखा गया है। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य विदेशी भाषाओं की वर्णमाला में शामिल नहीं है। हम सभी बचपन मे शुरुआती दौर में जो वर्णमाला पढ़ते हैं, क्या हम इसके महत्व के बारे में जानते हैं। बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत इस वर्णमाला से ही क्यो की जाती हैं आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैः-

क ख ग घ ङ–पांच वर्णों के इस समूह को 'कण्ठव्य' कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता हैं क्योंकि इस का उच्चारण करते समय कंठ से ध्वनि निकलती है।

च छ ज झ ञ–इन पाँचों को 'तालव्य' कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हम जीभ और तालु को महसूस करते हैं।

ट ठ ड ढ ण–इन पांचों को 'मूर्धन्य' कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हम जीभ मूर्धन्य (ऊपर उठी हुई) महसूस करते हैं।

त थ द ध न–पांच वर्णों के इस समूह को 'दन्तव्य' कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ दांतों को छूती है।

प फ ब भ म–इन पांच वर्णों के इस समूह को कहा जाता है ओष्ठव्य, क्योंकि दोनों होठ इस उच्चारण के लिए मिलते हैं।

दुनिया की किसी भी अन्य भाषा में ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है! निःसंदेह, हमें अपनी ऐसी भारतीय भाषा पर गर्व होना चहिए!!

राजभाषा पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस समारोह, 2021

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पटना में 01/09/2021 से 15/09/2021 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाते हुए दिनांक–14/09/2021 को क्षेत्रीय निदेशक, श्री सत्यजीत कुमार की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ. अविनाश कुमार, चिकित्सा सतर्कता अधिकारी, डॉ. भवेश कुमार, उप निदेशक, श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, श्री राकेश कुमार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे. जबकि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक, श्री अरविन्द कुमार उपस्थित थे। सर्वप्रथम मंचासीन अधिकारियों का पुष्प तथा रुमाल भेंटकर स्वागत किया गया।

तत्पश्चात निगम के पांच प्रमुख हितलाभों का प्रतीक चिन्ह पंचदीप को प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारम्भ किया गया।

श्री प्रमोद कुमार निराला, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार में हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा शाखा द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए जानेवाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जिसकी करतल ध्वनि से सभी ने सराहना की. साथ ही उन्होंने महानिदेशक महोदय द्वारा जारी अपील को पढ़कर सुनाया। इसके बाद राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों के पुरस्कार राशि की घोषणा की गई तथा उन्हें मंचासीन अधिकारियों एवं क्षेत्रीय निदेशक के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही वर्ष 2020-21 के दौरान सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में चिकित्सा प्रशासन शाखा को अंतः शाखा चल-शील्ड प्रदान की गई।

इस अवसर पर उप निदेशक, श्री संजय कुमार ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हिंदी विश्व के बड़े भूभाग में बोली और समझी जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हम जो लिखते हैं वहीं बोलते भी हैं, जबकि अन्य भाषाओं विशेषकर अंग्रेज़ी के साथ ऐसी बात नहीं है। अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी हिंदी के प्रति अपने-अपने विचार रखे।

मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी बोलकर भारत का मान बढ़ाते हैं वहां के लोग अंग्रेजियत को अपनी शान समझते हैं यह वाकई क्षोभ का विषय है। उन्होंने सभी भाषा को सीखने-सिखाने पर बल दिया पर सबसे पहले मातृभाषा को ही सीखने-सिखाने की बात कही। अंत में क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने राजभाषा प्रतिज्ञा का सामूहिक वाचन कराया, साथ ही उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी तथा राजभाषा कार्यान्वयन में बेहतर प्रदर्शन हेतु राजभाषा शाखा के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इस कार्य में अन्य शाखाओं से इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा ही हमारी राजभाषा है और इस कारण हमें हिंदी में कार्यालयी कामकाज करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंत में श्री प्रमोद कुमार निराला, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पखवाड़े के दौरान सहयोग करने तथा कार्यक्रम के दौरान अपनी उपस्थिति से इसे सफल करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद राष्ट्रगान के समूहगायन तथा जलपान वितरण के साथ ही कार्यक्रम के विधिवत समापन की घोषणा की गई।

राजभाषा पखवाडा-2021 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के एवं उन्हें प्रदान की गई पुरस्कार की राशि।

	क्र.सं.	नाम व पदनाम	प्रतियोगिता/पुरस्कार
हिंदी निबंध प्रतियोगिता	1.	श्रीमती श्वेता वर्मा, प्र.श्रे.लि.	प्रथम पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	2.	श्री शिव सुन्दर चौधरी, अ.श्रे.लि.	द्वितीय पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	3.	सुश्री विन्दुवासिनी शर्मा, प्र.श्रे.लि.	तृतीय पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	4.	श्री अमरदीप कु. चंद्रवंशी, सहायक	प्रोत्सहन पुरस्कार (हिंदी भाषी)
हिंदी टिप्पण/ आलेखन प्रतियोगिता	5.	श्री योगेन्द्र कुमार, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्साहन पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	1.	श्री शिव सुन्दर चौधरी, अ.श्रे.लि.	प्रथम पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	2.	सुश्री विन्दुवासिनी शर्मा, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	3.	श्री उमेश कुमार, प्र.श्रे.लि.	तृतीय पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	4.	श्री योगेन्द्र कुमार, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्सहन पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	5.	श्री पंकज कुमार, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्साहन पुरस्कार (हिंदी भाषी)
हिंदी वाक् प्रतियोगिता	1.	श्री अश्विनी कुमार, प्र.श्रे.लि.	प्रथम पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	2.	श्री मयंक मणि त्रिपाठी, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	3.	श्रीमती श्वेता वर्मा, प्र.श्रे.लि.	तृतीय पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	4.	श्री शिव सुन्दर चौधरी, अ.श्रे.लि.	प्रोत्सहन पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	5.	श्रीमती सुप्रिया सिंह, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्साहन पुरस्कार (हिंदी भाषी)
राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता	1.	श्री अश्विनी कुमार, प्र.श्रे.लि.	प्रथम पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	2.	श्री उमेश कुमार, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	3.	श्री शिव सुन्दर चौधरी, अ.श्रे.लि.	तृतीय पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	4.	सुश्री विन्दुवासिनी शर्मा, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्सहन पुरस्कार (हिंदी भाषी)
	5.	सुश्री प्रज्ञा, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्साहन पुरस्कार (हिंदी भाषी)

राजभाषा हिंदी के अनुपालन के लिए ध्यान देने योग्य बातें

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश (ज्ञापन, अनुदेश, सूचना, परिपत्र आदि), करार, प्रशासनिक रिपोर्ट, निविदा सूचना, प्रेस विज्ञप्ति आदि केवल अंग्रेजी में जारी नहीं होने चाहिए।
2. वर्ष की प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाए।
3. वर्ष की प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए।
4. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से व्यक्तिशः आदेश जारी किया जाए।
5. विज्ञापनों पर व्यय की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 50% हिंदी विज्ञापनों पर व्यय किया जाए।
6. साइनबोर्ड, नामपट्ट, मोहर, पत्रशीर्ष, फाइल, रजिस्टर आदि के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए।
7. कार्यालय अध्यक्ष को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाया जाए और इनकी बैठकों में उनके द्वारा नियमित रूप से भाग लिया जाए।
8. विभिन्न आवधिक हिंदी रिपोर्टें नियमित रूप से मुख्यालय भिजवाएं।
9. कार्यालय के कम्प्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय करवाएं।

कार्यालयी प्रयोग की नेमी टिप्पणियां

Accepted for payment	भुगतान के लिए स्वीकृत
Acknowledge receipt	पावती दें, प्राप्ति सूचना भेजें
Action has not yet been initiated	कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की गयी है
Action may be taken as proposed	यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए
Agenda is sent herewith	कार्यसूची साथ भेजी जा रही है
After consultation with	से परामर्श करके
All concerned should note	सभी सम्बंधित नोट करें
As amended	यथा संशोधित
As proposed	यथा प्रस्तावित
As recommended	यथा संस्तुत, सिफारिश के अनुसार
Authority competent to sanction	मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी
Backward reference	पूर्व सन्दर्भ
Balance in hand	रोकड़ बाकी
Bring in notice	ध्यान में लाना
By authority of	के प्राधिकार से
By virtue of office	पद की हैसियत से
Call for an explanation	जवाब तलब किया जाए
Case has been closed	मामला समाप्त कर दिया गया है
Come into force	लागू होना
Circulate and then file	सम्बद्ध व्यक्तियों को दिखाकर फाइल कर दीजिए
Cited above	ऊपर उद्धृत
Competent authority's sanction is necessary	सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक है
Concurrence of Finance branch is necessary	वित्त शाखा की सहमति आवश्यक है
Copy enclosed	प्रतिलिपि संलग्न
Dispose of	निपटाना
Draft for approval	प्रारूप अनुमोदनार्थ
Expedite action	कार्रवाई शीघ्र करें
Follow up action	अनुवती कार्रवाई
For further action	आगे की/अगली कार्रवाई के लिए
For perusal	अवलोकनार्थ
For such action as may be necessary	यथा आवश्यक कार्रवाई के लिए
Forwarded and recommended	अग्रेषित और संस्तुत
Governed by the rules	द्वारा शासित

Has no comments to make	को कोई टिपण्णी नहीं करनी है
I am directed to say	मुझे कहने का निदेश हुआ है
If deemed fit	यदि उचित समझें
In absence of information	सूचना के अभाव में
In confirmation of	की पुष्टि में
In contravention of	का उल्लंघन करते हुए
In exercise of	का प्रयोग करते हुए
In partial modification of	का आंशिक आशोधन करते हुए
Instructions are solicited	कृपया अनुदेश देने का अनुग्रह करें
Inter se	आपस में, परस्पर
Is hereby informed	को सूचित किया जाता है
Keep pending	लंबित रखा जाए
Laid down in	में निर्धारित
Matter is under consideration	मामला विचाराधीन है
May be passed for payment	भुगतान के लिए पास किया जाए
Necessary steps should be taken	आवश्यक कार्रवाई की जाए/आवश्यक कदम उठाए जाएं
No objection certificate	अनापत्ति प्रमाणपत्र
Notwithstanding	के होने पर भी, के होते हुए भी
Obtain formal sanction	औपचारिक मंजूरी प्राप्त करें
On probation	परिवीक्षाधीन
Order may be issued	आदेश जारी कर दिया जाए
Overall position	समग्र स्थिति
Pertaining to	से सम्बंधित, के सम्बन्ध में
Please acknowledge reciept	कृपया पावती भेजें, कृपया प्राप्ति रसीद दें
Preceding notes	पूर्ववती टिप्पणियां
Post Facto Sanction	कार्योत्तर मंजूरी
Sanctioned as proposed	प्रस्ताव के अनुसार मंजूर
Specific reason may be given	विशिष्ट कारण दें
Subject to	के अधीन, बशर्ते
Signed, sealed and delivered	हस्ताक्षरित, मोहरबंद और सुपुर्द किया
Submitted for perusal	अवलोकनार्थ
Take over charge	कार्यभार ग्रहण करना
The proposal is quite in order	यह प्रस्ताव बिलकुल नियमानुकूल है
This is to certify	प्रमाणित किया जाता है

Through proper channel	उचित माध्यम से
Till further orders	अगला आदेश होने तक
Timely compliance may be ensured	समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए
To comply with	अनुपालन करना
Under intimation to this office	इस कार्यालय को सूचना देते हुए
Up to date	अद्यतन
Urgently required	अविलम्ब चाहिए, तुरंत चाहिए
Vide letter no-	पत्रांक......देखिए पत्र संख्या ......देखिए
Whichever is earlier	जो भी पहले हो
With concurrence of	की सहमति से
With reference to	के सम्बन्ध में
Your's sincerely	आपका, भवदीय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन) योजना : निगम कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर) के दौरान 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने पर उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

आशुलिपिक/टंकक, जो सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने सम्बन्धी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा (हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन) योजना के लिए प्रपत्र

अधिकारी/कर्मचारी का नाम :

पदनाम एवं शाखा :

(01 जनवरी से 31 दिसंबर)

अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा घोषणापत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष--------------------------के दौरान मैंने टिप्पण/आलेखन में निर्धारित प्रतिशतता (100 प्रतिशत) तक कार्यालयी कार्य हिंदी में किया हैद्य इस अवधि में मैंने न तो केवल टंकण /डायरी-डिस्पैच का कार्य किया और न ही राजभाषा शाखा में तैनात था।

दिनांकः

अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर

नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर

टेलीमेडिसिन

अश्वनी कुमार
सहायक

भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी शुरुआत की है। ई-संजीवनी एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ओपीडी परामर्श प्राप्त करने कि सुविधा लोगों को मिलने लगी है। अभी यह शुरुआती चरण में है इसलिए लोगों को फिलहाल इसके दूरगामी परिणाम नहीं दिख रहे होंगे.. आने वाले दो से तीन वर्षो में चिकित्सा के क्षेत्र में धूम मचने वाली है और सरकार शायद उज्ज्वला योजना की तरह सीधे ग्रामीण आबादी के दिल में उतर जाएगी।

जिसने भी ग्रामीण परिवेश जीया है उसने मरीजों को खाट पर टांगकर कई कई मील चलते लोगों की टोली को जरूर देखा होगा। निरीह आबादी शहर के सरकारी अस्पतालों के लाइन में कैसे धक्के खाया करती थी..गमछे से निकाल कर सत्तू और प्याज खाते मरीजों को अगर आपने देखा है तो समझ लीजिए टेलीमेडिसिन का कांसेप्ट दिल में जरूर उतरेगा...ये तो सपने जैसा ही है कि दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोगों को हम ऐसी व्यवस्था से लैस कर रहे हैं कि देश के विभिन्न अस्पतालों में बैठे उत्कृष्ट डॉक्टरों से ईलाज ले सकेंगे..

जब फार्मा इंडस्ट्री के आतंक से अधिकांश आम जनता कराह रही है वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना तथा टेलीमेडिसिन का मिक्स डोज, गरीबी से उबारने की पटकथा से कम नहीं है। जनऔषधि परियोजना को कम आंकने की भूल कतई न करें। सरकार ने जेनेरिक दवाओं के गुणवत्तापूर्ण रिसर्च तथा टेस्टिंग के लिए Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India नामक एक इकाई का गठन किया है जो पूरे परियोजना को नियंत्रित कर रही है। ब्रांड दवाओं की तुलना में इसकी कीमतें 80 से 90% तक कम है..क्लियर है कि डॉक्टरों की कमीशनखोरी और फार्मा के मोनोपोली वाली लूट बंद होने की कगार पर जाकर खड़ी हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ सालों में गाँव-गाँव तक जनऔषधि की दुकानें खोले जाने का है..

एक के बाद एक चरण में प्रयासों से हम आसानी से टेलीमेडिसिन के द्वारा न केवल अच्छे डॉक्टरों से ग्रामीण इलाकों तक बेहतरीन ईलाज पहुंचा सकते बल्कि मामूली कीमतों में बेहतर दवा मुहैया करा पायेंगे.. सरकार चाहे तो उनके दरवाजे तक कूरियर पार्टनर्स के द्वारा डिलीवरी करा सकती है, ऐसे में कई स्टार्टअप को रोजगार भी मिल सकेगा। Village Level Entrepreneurs

यानी कॉमन सर्विस सेन्टर को सरकार 5 से 10 रुपये की कमीशन दे, फिर देखिए यह योजना कैसे क्रांति का रूप पकड़ लेती है। CSC में रोगी को पकड़ पकड़ के ओपीडी परामर्श दिलाया जाएगा.. लोगों में जबरदस्त समझ बढ़ेगी, ग्रास रुट लेवल तक सरकार का यह कांसेप्ट पहुंचने में देर नहीं लगेगा क्योंकि लगभग हर घर में स्मार्टफोन पहले से पहुंच रखा है।

अगर सरकार अपनी मंशा में सफल होती है तो निश्चित है कि डिजिटल इंडिया सच में उस खाई को पाट देगी जिसके सपने कभी हर चुनाव के पहले देखे जाते थे! MCI की जगह National Medical Commission लाया जाना, फिर ताबड़तोड़ अंदाज में एक के बाद एक मेडिकल कॉलेज खोला जाना, उसके बाद टेलीमेडिसिन-जनऔषधि जनता के बीच उतार देना.. यह संयोग नहीं है, बिल्कुल प्रयोग है..

हम अपने नागरिकों को लंबे समय तक निजी डॉक्टरों के हाथों लुटते नहीं देख सकते.. जो पैसा बाजार में आना चाहिए, GDP सर्कुलेशन का हिस्सा बनना चाहिए वो पैसा एक ही लॉबी लूट ले जाये तो अर्थव्यवस्था कराहता ही रहेगा.. हम अपने नागरिकों को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा प्रदान करें! उसके अलावे जीडीपी-इकोनॉमिक्स को हमारी आबादी सम्भाल लेगी.. बाकी हमारे पर्व त्योहार, शादियां-पार्टियां समाज की तरक्की का बैकबोन तो है ही।

टेलीमेडिसिन की सफलता नए भारत की पटकथा लिखेगा.. आम जिंदगी मेंटोस सी होने वाली है! शायद लाइन में धक्के खाने वाली हमसभी आखिरी पीढ़ी ही हैं...बदलते भारत को अलग नजरिये से देखना सीखिए वरना यह मौका चूक जाएंगें...

'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' का पंचम अंक

अनिल कुमार
निजी सचिव

उपमा के अद्भुत कलाकार एवं प्रेमी-प्रेमिका के अंतर्मुखी विशेषज्ञ कहे जानेवाले महाकवि कालिदास द्वारा रचित विश्वविख्यात हृदयस्पर्शी नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम् एक अभूतपूर्व एवं अनूठी रचना है, जिसके बारे में प्रख्यात शेक्सपियर महोदय का कहना है कि 'जिन्होंने जीवन में कम-से-कम एक बार इस नाटक को नहीं पढ़ा, उनका जीवन साहित्यिक रूप से शत-प्रतिशत सफल नहीं कहा जा सकता है।'

आदरणीय पाठकगण, आपने गृहपत्रिका संकल्प के पूर्वांक में क्रमशः नाटक का प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक एवं चतुर्थ अंक का रसास्वादन किया होगा, तत्पश्चात् पूर्व कथा को अपनी स्मरण-पटल पर रखते हुए अर्थात् पूर्व वृतांत को ताजा करते हुए अब पंचम अंक का रसास्वादन किया जाय।

नाटक के पंचम अंक का अतिसंक्षिप्त कथानक इस प्रकार है—महाराज दुष्यंत धर्मासन (कार्य-स्थल) से प्रस्थान कर अपने शयनागार में विश्राम करने आए हैं। इसी बीच उनका एक दरबारी उन्हें सूचना देता हैं कि महर्षि कण्व का संदेश लेकर उनकी कन्या शकुन्तला के साथ कुछ तपस्वी मुख्य द्वार पर उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर राजा दुष्यंत उन्हें आदेश देते हैं ''राजपुरोहित सोमरात जी से कहो कि वे वैदिक रीति से उन तपस्वियों को सम्मान के साथ यज्ञशाला में लाएं और मेरी प्रतीक्षा हेतु बैठाएं। मैं वहीं आकर उनलोगों से भेंट करूंगा और उनकी बातें सुनूंगा एवं आने का कारण जानूंगा।''

महाराज दुष्यंत मन ही मन आश्चर्यचकित हैं कि महर्षि कण्व ने अपनी कन्या को कुछ तपस्वियों के साथ मेरे पास क्यों भेजे होगा। आखिर इन तपस्वियों को यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गयी इन लोगों के साथ कोई अन्याय तो नहीं किया होगा। (दरअसल प्रेम-प्रसंग के बाद दुष्यंत का शकुंतला के पास से विदा होने के कुछ क्षण बाद ही महर्षि दुर्वासा द्वारा आश्रम में प्रेमी दुष्यंत की गहरी याद में खोयी हुई शकुंतला को भिक्षा के लिए पुकारने पर उनकी आवाज नहीं सुनने के कारण शकुंतला को शाप दिया गया था कि 'जिस दुष्यंत की याद में खोकर तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही हो, वह दुष्यंत समय आने पर तुम्हें नहीं पहचानेगा।' शकुंतला की सखियों द्वारा काफी अनुनय-विनय के बाद महर्षि दुर्वासा ने उस शाप को समाप्त होने का उपाय भी बताया था कि दुष्यंत द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाने से शाप नष्ट हो जाएगा और अंगूठी देखने के बाद दुष्यंत स्वतः शकुंतला को पहचानने लगेंगे। नाटक में अभी वही समय आने का लक्षण दिख रहा है।)

तत्पश्चात दरबारी की सूचना के अनुसार तापसी गौतमी के साथ शकुन्तला घूंघट (तेज धूप एवं कुदृष्टि से बचने हेतु घूंघट काढने की प्रथा अभी भी जारी है।) काढ़ी हुई महर्षि कण्व के शिष्यों सहित दुष्यंत के यज्ञशाला में पहुंचती हैं। इसी क्षण शकुन्तला की दाहिनी आंख अचानक फड़कने लगती है। (शास्त्रानुसार पुरुष की बायीं और स्त्री की दायीं अंग फड़कना घोर अशुभ माना गया है, जो कहानी में आगे दिखने लगेगा।) शकुन्तला मन ही मन घबराने लगती है कि न जाने मेरे साथ क्या अशुभ होने वाला है, मेरी दाहिनी आंख अचानक क्यों फड़कने लगी है।

इसी बीच राजा दुष्यंत यज्ञशाला में आते हैं और अनायास शकुन्तला को आदरपूर्वक भर नजर सिर से पैर तक देखते हैं और दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुन्तला के साथ बिताया हुआ अपने पूर्व का प्रेम-प्रसंग, गान्धर्व विवाह एवं मादनिक पल की बात एकदम भूल जाते हैं। शकुंतला के सौंदर्य पर वे अनायास मन ही मन आकर्षित भी होते हैं, किंतु धर्मनिष्ठा, सामाजिक बंधन के कारण एवं पराई स्त्री होने के कारण शकुंतला की ओर दुबारा नहीं देखते हैं, क्योंकि पराई स्त्री को घूर घूर कर देखना भारतीय सदाचार एवं राजधर्म के विरुद्ध है। (हालांकि मेरी समझ से ईश्वर की हर सुंदर रचना को बार-बार आदरपूर्वक देखने में कोई मनाही नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि देखने का उद्देश्य एवं तरीका गलत न हो। क्योंकि ईश्वर की हर लुभावनी रचना की ओर आकर्षित न

होना ईश्वरीय कलाकृति एवं सौंदर्य निखारने में ईश्वरीय मेहनत का अनादर करने जैसा होगा।) तत्पश्चात् दुष्यंत गंभीरतापूर्वक अपनी जगह पर बैठ जाते हैं।

इन लोगों की अगुआई कर रहे राजपुरोहित सोमरात जी कहते हैं, 'महाराज का कल्याण हो, हे महाराज, इन तपस्वियों को शास्त्रोक्त विधि से स्वागत कर दिया गया है, इनके पास इनके गुरु महर्षि कण्व जी का कुछ संदेश है, उसे आप सावधान होकर सुनें।' दुष्यंत आगंतुक तपस्वियों की ओर देखते हुए कहते हैं कि 'मैं सुनने के लिए सावधान हूं आप अपनी बात खुलकर कहिए।'

शकुंतला के साथ आए हुए तपस्वीप्रधान महर्षि कण्व के प्रधानशिष्य शार्गरव कहते हैं 'हे राजन, आप प्रजासहित कुशल तो हैं न। महर्षि कण्व ने आपसे कहा है कि हे राजन, आपने परस्पर की अभिलाषा से ही गान्धर्व विधि से स्वेच्छापूर्वक मेरी अनुमति के बिना ही मेरी पालित कन्या शकुन्तला के साथ जो विवाह कर लिया है, तुम दोनों की स्वेच्छा से किए हुए उस गान्धर्व विवाह को मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है और इस विवाह का हृदय से स्वागत भी करता हूं और अब आपकी धर्मपत्नी शकुन्तला गर्भवती है। अतः इसे धर्माचरण के लिए अपने ही पास रखिए, इसलिए मैं शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ आपके यहां निवास हेतु भेज रहा हूं।' ऐसा सुनकर दुष्यंत आश्चर्य करके चौंकते हुए कहते हैं, 'क्या, मैंने इस कन्या से विवाह किया है? कब एवं कैसा गान्धर्व विवाह किया ? नहीं, नहीं, मैं तो इस शकुंतला के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं।' यह कहते हुए दुष्यंत के चेहरे पर शकुन्तला को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करने की गाढ़ी छाया दिखने लगी थी।

तपस्वी प्रधान शार्ङ्गरव कहते हैं 'हे राजन, भले ही आपके द्वारा शकुंतला के साथ प्रेम / गांधर्व विवाह किया हुआ काम गलत हो, पर उसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, धर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपने जो शकुन्तला से गान्धर्व विवाह किया है, इसके साथ दाम्पत्य पल बिताया है, अब इसे आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? अतः आप अपने धर्म से पीछे क्यों हट रहे हैं? सारा वृतांत जानते हुए भी आप अनभिज्ञता जता रहे हैं, यह व्यवहार आपका इस कन्या के प्रति कैसा अत्याचार है। आप जैसे एक न्यायी राजा से यह अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती है। हम तपस्वी झूठ नहीं बोल सकते हैं।' इतना सुननें पर भी दुष्यंत कुछ कहना नहीं चाहते हैं।

दरअसल तपस्वीप्रधान शार्गरव को यह कतई पता नहीं है कि महर्षि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को दिया गया शाप के कारण दुष्यंत को शकुंतला के साथ बिताए हुए मादनिक पल के बारे में कुछ भी याद नहीं है।

ऐसी परिस्थिति देखकर तापसी गौतमी तुरंत समझ जाती हैं कि दुष्यंत शकुन्तला को पत्नी के रूप में नहीं पहचान रहे हैं। गौतमी दुष्यंत को कण्वाश्रम में शकुंतला के साथ बिताए दिनों का मधुर प्रसंग बार-बार जोर देकर सुनाती है। फिर भी, राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आता है। दुष्यंत का शकुन्तला के प्रति अन्यमनस्कतावश गौतमी शकुन्तला की ओर देखते हुए आश्रम से विदाई के समय दुष्यंत द्वारा शकुंतला को उपहारस्वरूप दी गयी अंगूठी दिखाने का संकेत करती है। शकुंतला अपनी ऊंगली टटोलते हुए अंगूठी खोलकर दिखाना चाहती है, किंतु वह अंगूठी ऊंगली में नहीं मिलती है। उन्हें अंदाजा लगा कि रास्ते में शक्रावतार तीर्थ में शचीतीर्थ के जल की वंदना करते समय ही ऊंगली से अंगूठी निकलकर कहीं जल में ही गिर गयी होगी। महाराज दुष्यंत को लगता है कि ये लोग अंगूठी खोने का सिर्फ बहाना बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अंगूठी का प्रसंग उठाकर न दिखा पाने से राजा को और अधिक आशंका हो जाती है कि ये लोग किसी पूर्वसाजिश के तहत मुझे धर्म से गिराना चाहते हैं। अत्यंत प्रयास करने के बावजूद दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचानते हैं और उसे पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारते हैं।

इदमुपनतमेवं रूपमक्लिष्ट कान्ति,
प्रथमपरिगृहीतं स्यान्न वेति व्यवस्यन्।
भ्रमर इव विभाते कुन्दमन्तः तुषारं,
न च खलुपरिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम्।।

महाराज दुष्यंत विचित्र ऊहापोह की स्थिति में पड़ जाते हैं और एक बार फिर आकर्षणवश शकुन्तला को अच्छी तरह नीचे से ऊपर तक देखकर मन ही मन सोचते हैं कि इस आकर्षक कांति और रूपलावण्य से संपन्न स्वयं उपस्थित ऐसी मनमोहक सुकुमार अंगों वाली हृदयग्राहिणी कान्ता मुझसे कभी विवाहित हुई है या नहीं, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा है। ऐसे में न तो मैं इसे शीघ्रता से त्याग ही सकता हूं और न ही इसे स्वीकार ही कर सकता हूं। इस समय मुझे उसी प्रकार लग रहा है, जिस प्रकार ठिठुरती पौष माघ के

महीने में पुष्पित कुंद-पुष्प ओसकण से ढंके होने की वजह से कुंद-पुष्प को प्रातःकाल प्रचंड ठंड में भ्रमर न तो छोड़ पाता है और न ही उसके मकरंद रस का पान कर पाता है।

कुछ समय बाद महाराज दुष्यंत को ऊहापोह की स्थिति में देखकर राजधर्म के नाते उचित सलाह देते हुए राजपुरोहित सोमरात जी कहते हैं कि 'महाराज, मेरा एक सुझाव है बच्चा होने (प्रसव-कार्य) तक यह देवी मेरे घर में रहें, ऐसा मेरा विचार है। हे महाराज, आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको एक चक्रवर्ती संतान होना है। यदि शकुंतला का संतान चक्रवर्ती लक्षण से संपन्न होगा तो शकुंतला की बात सत्य समझकर इसे राजमहल में पत्नी के रूप में स्थान दीजिएगा, यदि भावी संतान चक्रवर्ती लक्षण से संपन्न नहीं दिखा तो इन दोनों को (शकुंतला एवं नवजात संतान को) ससम्मान कण्व के आश्रम पर पहुंचा दिया जाएगा।' महाराज दुष्यंत को पुरोहित सोमरात जी का सुझाव अच्छा लगा और सोमरात जी को शकुंतला को अपने निवास पर रखने की अनुमति दे देते हैं और वहां से निवास पर ले जाने का इशारा करते हैं। सत्य ही है कि स्त्रियां कभी भी स्वतंत्र नहीं रह पाती हैं, कारण जो भी हो—

पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने,
पुत्रश्च स्थविरे भावे, न स्त्रीं स्वतंत्र्यमर्हति

अर्थात् स्त्रियां को शादी नहीं होने तक पिता की देख-रेख में, शादी के उपरांत पति की देख-रेख में, बुढ़ापा आने पर आजीवन पुत्र की देख-रेख में रहना पड़ता है अर्थात् उनके जीवन में कभी स्वतंत्रता आती ही नहीं है।

शकुंतला को प्रसव होने तक राजपुरोहित के निवास पर रहने का निर्णय होने पर अपना भाग्य कोसती हुई शकुंतला पुरोहित सोमरात जी के पीछे-पीछे रोती हुई उनके निवास पर जाने लगी। इसी बीच अद्भुत स्त्रियों के आकार की एक दिव्य ज्योति आकाश से आकर अचानक शकुंतला को उठा ले जाती है। जब पुरोहित जी आकर राजा दुष्यंत से इस दिव्य घटना के बारे में बताते हैं तो वे आश्चर्य से व्याकुल होकर शयनागार में चले जाते हैं और इस विचित्र घटना के बारे में सोचते हुए सो जाते हैं।

एक युग–अवसान पर

प्रमोद कुमार निराला
सहायक निदेशक (राजभाषा)

आने वाले 10-15 साल में एक पीढ़ी संसार छोड़कर जानेवाली है ...
इस पीढ़ी के लोग बिलकुल अलग ही है ...
रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी जागने वाले, भोर में घूमने निकलने वाले ।
आँगन और पौधों को पानी देने वाले, देवपूजा के लिए फूल तोड़ने वाले, पूजा अर्चना करने वाले, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले।
रास्ते में मिलने वालों से बात करने वाले, उनका सुख-दुःख पूछने वाले, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले, वगैर पूजा किये अन्न ग्रहण न करने वाले।
उनका अजीब सा संसार ...
तीज त्यौहार, मेहमान शिष्टाचार, अन्न, धान्य, सब्जी-भाजी की चिंता, तीर्थयात्रा, सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमने वाले।
पुराने फ़ोन पे ही मोहित, फ़ोन नंबर की डायरी मेंटेन करने वाले, रोंग नंबर से भी बात करने वाले, समाचार पत्र को दिन भर में दो-तीन बार पढने वाले वाले।
हमेशा एकादशी याद रखने वाले, अमावस्या और पूर्णमासी याद रखने वाले, भगवान पर प्रचंड विश्वास रखने वाले, समाज का डर पालने वाले, पुरानी चप्पल, बनियान, चश्मे वाले।
गर्मियों में अचार-पापड़ बनाने वाले, घर का कुटा मसाला इस्तेमाल करने वाले और हमेशा देशी टमाटर, बैंगन, मेथी साग-भाजी ढूँढने वाले।
नज़र उतारने वाले,
क्या आप जानते हैं कि ये सभी लोग धीरे-धीरे हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं?
क्या आपके घर में भी ऐसा कोई है? यदि हाँ, तो उनका बेहद ख्याल रखें।
अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीख, उनके साथ ही चली जाएगी...वो हैं, संतोषी जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, प्रेरणा देने वाला जीवन, मिलावट और बनावट रहित जीवन, धर्म सम्मत मार्ग पर चलने वाला जीवन और सबकी फ़िक्र करने वाला आत्मीय जीवन।
आपके परिवार में जो भी बड़े हों, उनको मान सम्मान और अपनापन, समय तथा प्यार दीजिये, और हो सके तो उनके कुछ पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें।

क्योंकि .. संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं
Last but not least–यह मानव इतिहास की आखरी पीढ़ी है, जिसने अपने बड़ों की सुनी और अब अपने छोटों को भी सुन रहे हैं।

निस्तब्धता

बेटों ने चलने फिरने और बोलने से असमर्थ अपने पापा रिटायर्ड मेजर को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही घर के एक कमरे में फर्श पर गद्दा लगा दिया और नेपाली नौकर को कहा, ''इनका पूरा ख्याल रखना। हमें कोई शिकायत ना मिले''

छोटे बेटे की नई-नई शादी हुई थी। उसने हनीमून व गर्मियां बिताने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने का प्रोग्राम बनाया और चला गया। बाद में दूसरे बेटे ने कनाडा और यूएसए में और तीसरे ने रूस में छुट्टियां व्यतीत करने का प्रोग्राम बनाकर निकल गए। जाते जाते नौकर को एक फ़ोन देते हुए चेतावनी दी, हमारी दो माह के बाद वापसी होगी। तुम पापा का पूरा ख्याल रखना, समय पर खाना, दूध और दवाएं देते रहना। पापा को तनिक भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।

नौकर ने सहज सहमति दे दी और वे सभी चले गए।

वे जहां भी जाते, आवश्यकता पड़ने पर हर जगह अपना परिचय मेजर के बेटे होने से शुरू करते और पापा के साहस की कहानियाँ सुनाते .....

इधर बूढ़ा अपाहिज पिता अकेला घर के कमरे में लेटा साँसे लेता रहता। वह ना तो चल सकता था, ना स्वयं से कुछ मांग सकता था। नौकर 24 घंटे उनके पास ही रहता और समय से भोजन, दूध, दवा आदि देता रहता।

एक महीना बीत गया। इस बीच नौकर के पास पापा का हाल-चाल जानने के लिए किसी बेटे का कोई फ़ोन नहीं आया। अपनी जिम्मेदारी से बचने व छुटियाँ खराब होने के डर से सभी स्वयं को छोड़कर शेष दोनों भाइयों पर आश्रित बने रहे।

एक दिन नौकर फ़ोन घर पर ही छोड़ कमरे में ताला लगाकर बाजार से दूध लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया किन्तु वह कोमा में चला गया। नौकर कोमा से होश में नहीं आ सका और एक दिन वह भी चल बसा। उसके पास कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई (फ़ोन घर पर ही रख दिया था और एक्सीडेंट के वक्त घर की चाभी भी कहीं गुम हो गयी थी)। अतः लावारिस मान कर प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

बेटों ने नौकर को सिर्फ पिता के कमरे की चाभी दी थी। बाकी घर के सारे तालों की चाभी साथ ले गए थे। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी नौकर उस कमरे को ताला लगाकर चाभी साथ लेकर गया था ताकि उसकी अनुपस्थिति में कोई घर में घुस ना सके, पर वह वापस न आ पाया।

अब बूढ़ा रिटायर्ड मेजर कमरे में बंद हो चुका था। वह चल फिर भी नहीं सकता था। किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था।

अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जब सबसे पहले पहला बेटा वापस आया तो घर पर ताला बंद पाकर नौकर को फ़ोन लगाया। लम्बे समय से रिचार्ज न हो सकने के कारण मोबाइल भी डिस्चार्ज हो था, इस कारण फ़ोन नहीं लगा। दूसरे भाईयों से बात करना चाहा कि नौकर से उनकी अंतिम बार कब बात हुई थी तो दोनों ने कोई न कोई बात बताई। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने नौकर को बहुत दिनों से बाहर निकलते या आते-जाते नहीं देखा है।

हार मानकर जब ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो...पूरा कमरा हल्की बदबू से भरा था। खिड़की दरवाजे सब बंद थे। ए.सी चल रहा था इस कारण कमरे में ठंडक थी। फर्श पर पड़े गद्दे पर एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसके गले तक चादर पड़ी थी। उस कंकाल के शरीर में सेना की वर्दी थी जो चादर से बाहर निकली बाहों में दिख रही थी। कमरे में निस्तब्धता छाई हुई थी।

यह कहानी हमें बता रही है कि जिस तरह अपनी संतान के लिए नेकी और बुराई की परवाह किये बगैर हम सब उनका भविष्य संभालने के लिए तन, मन, धन खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत-जायदाद बनाकर भविष्य की पीढ़ियों को आर्थिक रूप से संबल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय यह सोचते हैं कि मेरी औलाद बुढापे में हमारी देखभाल करेगी।

बेहतरीन स्कूलों में भौतिक शिक्षा दिलवाने की आपाधापी में हम यह भूल जाते है कि जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों, मानवतायुक्त संस्कारों, धार्मिक विचारों की शिक्षा देने से ही मानव का पूर्ण विकास संभव होता है। नैतिक, सामाजिक, धार्मिक व मानवीय शिक्षा को हम समय की बर्बादी समझते हैं।

यदि ऐसा कहा जाए कि बूढ़े, अपाहिज और अशक्त हो चुके मेजर का मर जाना ही उचित था। मानते हैं...किन्तु क्या ऐसी मृत्यु ..न ..न ..न

साभार–सोशल मीडिया

कोरोना का शिक्षा पर प्रभाव

विन्दु बासिनी शर्मा

सहायक

वर्ष 2020 के शुरुआत से सबकी जुबान पर एक ही शब्द था—कोरोना। लेकिन तब शायद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी वजह से पूरी दुनिया ही तहस-नहस हो जाएगी। इस विश्वव्यापी महामारी से बचने का केवल एक ही उपाय है—एक दूसरे से दूरी और इसका तात्पर्य है सभी सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाना। जाहिर सी बात है कि जिन गतिविधियों पर रोक लगाया गया उनमें पूजा स्थल और शैक्षणिक संस्थान भी शामिल थे। लोगों को इस महामारी की चपेट में आने से और चूंकि यह संक्रामक रोग है अतः इसके प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये पाबंदियां लगाई गईं। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई भी सरकार कभी बच्चों के स्कूल जाने पर रोक लगा सकती है जबकि सबको शिक्षा सुलभ कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। लेकिन कोरोना के दौर में यह दिन भी देखने को मिला।

लॉकडाउन के महीनों बाद भी, जब अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छूट मिल गयी, स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा कारण था कोराना से बचाव के लिए बने टीके का सिर्फ वृद्धों एवं वयस्कों को ही लगाया जाना। बिना प्रभावी उपायों के शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाना खतरे से खाली नहीं।

इस लॉकडाउन के माहौल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो इसके लिए एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आई और वह थी ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था। हालांकि यह व्यवस्था पहले से ही हमारे बीच सोशल मीडिया एवं यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध थी पर इसका उतना प्रचलन नहीं था। लॉकडाउन के बाद भी अभी के माहौल में स्कूलों का खोला जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। ऐसे में देश के करोड़ों विद्यार्थी रवींद्रनाथ ठाकुर की तरह सिर्फ घर पर मिली शिक्षा की बदौलत पूरी दुनिया में अपनी विद्वता का लोहा नहीं मनवा सकते। कोरोना के दौरान एक ओर जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बेतहाशा बढ़ रहे संक्रमितों की सेवा में चरमरा गया वहीं दूसरी ओर शिक्षा तंत्र भी लॉकडाउन की मार से पस्त है। शिक्षण संस्थानों के खुलने पर सबसे ज्यादा खतरा विद्यार्थियों को है मगर बंद रहने से स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों के अस्तित्व पर खतरा है।

ऑनलाइन शिक्षा भी उन मुट्ठी भर बच्चों तक उन राज्यों में ही पहुँच रही है जहाँ के बच्चों के पास स्मार्ट फोन के साथ इन्टरनेट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क मौजूद है। भारत के ज्यादातर गांवों में तो ब्रॉडबैंड है ही नहीं। कई गांवों के हर घर में तो बिजली भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही इस नई ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था ने सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया है। सरकारी व्यवस्था में कहीं भी ऑनलाइन शिक्षा की परिकल्पना ही नहीं है और न ही उनमें पढने वाले विद्यार्थी इतने संपन्न हैं कि ऑनलाइन पढाई के लिए उनके पास कंप्यूटर, मोबाइल आदि उपकरण एवं इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जाहिर है कि वे बच्चे सिर्फ स्कूली शिक्षा पा सकते हैं।

हालांकि सर्वेक्षण के मुताबिक शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में लगभग 7.7 लाख स्नातक विद्यार्थियों ने निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा कम रही है। इससे साफ़ है कि महामारी से पैदा आर्थिक संकट में बालिकाओं को सबसे पहले शिक्षा से महरूम किया जा रहा है।

लॉकडाउन के दौर में महिलाओं पर हिंसा और बाल शोषण में इजाफा हुआ है। बालिका विवाह और बाल मजदूरी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे शिक्षा से दूर हो रहे निजी विश्वविद्यालयों की फीस सरकारी विश्वविद्यालयों की अपेक्षा कहीं अधिक है मगर बेरोजगारी की इस घडी में मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बच्चों की फीस से ज्यादा जरुरी है बच्चों का पालन करना ताकि वे जीवित रह सकें। बच्चों को पालना ही उनके लिए दूभर हो रहा है तो वे उनकी शिक्षा के लिए फीस का पैसा कहाँ से लाएंगे।

इससे जहाँ लाखों विद्यार्थी शिक्षा से हमेशा के लिए वंचित हो रहे हैं वहीं अनेक शिक्षण संस्थानों पर बंदी की तलवार लटक गयी है। देश की युवा पीढ़ी को इस संकट उबारने के लिए कायदे से सरकार को आगे आना चाहिए।

भारत में अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जाते हैं। उनमें से कुछ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है परन्तु ज्यादातर अपने माता-पिता के खर्च पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक़, कोरोना वायरस के आर्थिक परिणामस्वरूप अगले वर्ष लगभग 2.4 करोड़ विद्यार्थियों की पढाई हमेशा के लिए छूट जाने का संकट गहरा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत जैसे विकासशील देशों पर ही पड़ता है।

शिक्षण संस्थान बंद होने से दुनिया भर के तकरीबन 94% विद्यार्थी प्रभावित हैं। चिंताजनक यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न मध्य आय वाले देशों में लगभग 99% विद्यार्थी फिलहाल शिक्षा नहीं पा रहे हैं। सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में देश भर के संस्थानों में एवं तकनीकी कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

महामारी के कारण ऐसे कारोबार ठप्प होने के शिकार माता-पिता अब निजी शिक्षा विकल्प तलाश कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से पढ़े लिखे युवाओं को आत्महत्या के फंदे में फंसा रही है। आई ए एस, पी सी एस अधिकारी बनाने के सपने देखने वाले विद्यार्थियों में ऐसी घोर निराशा व्याप्त होना समाज और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। लाखों रुपये फीस दे चुके विद्यार्थी भी शिक्षा न मिलने के कारण इससे दूर हैं।

भारतीय लोकतंत्र में जनता के लिए और जनता का द्वारा शासन की प्राथमिकता है। सो भारत सरकार का दायित्व है कि जनता को महामारी से सुरक्षित करे तथा विद्यार्थियों की शिक्षा उनकी जीवन रक्षा के साथ जारी रखे। तभी युवाओं का भविष्य सुरक्षित बचेगा।

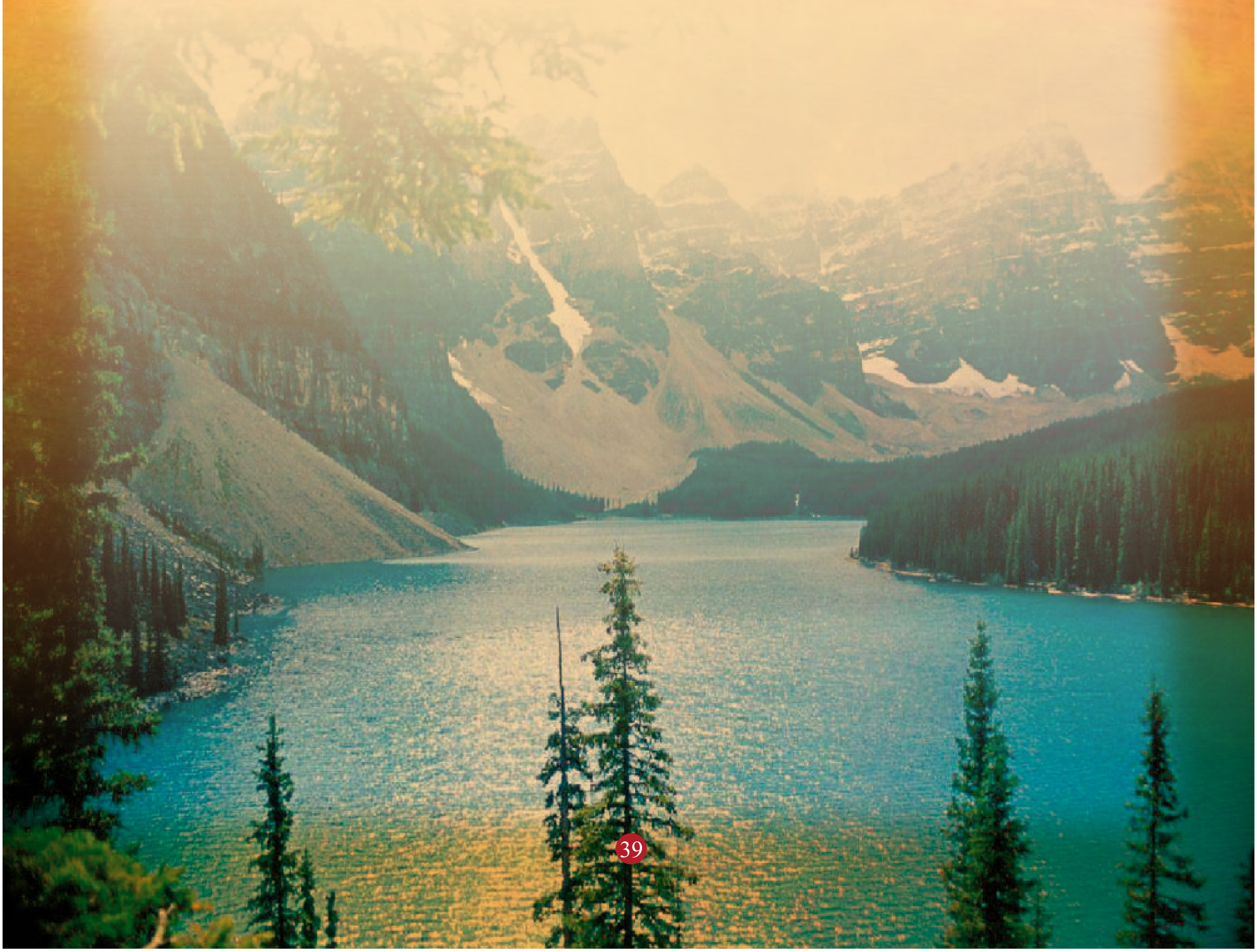

डर

स्वाति गुप्ता

बाबा, मेरे इस डर के भार को उतार दो,
मेरे जलने से पहले, मुझको मार दो।

बाबा आपके घर की किलकारी बन मैं आऊँगी,
आपके आँगन में तो पल जाऊँगी,
आपके हिस्से की खुशी भी बन जाऊँगी
गर्व से बाबा आपका सर भी उठाऊंगी,
पढ़ लिख के डॉक्टर या अफसर भी बन जाऊँगी।
पर सोचती हूँ, पर सोचती हूँ मैं,
किस किस से खुद का दामन बचाऊंगी
नोच कर मेरे शरीर को वो खायेंगे,
और मैं हवस की आग में जल जाऊंगी।
इसलिए बाबा मेरे इस डर के भार को उतार दो,
मेरे जलने   से पहले, मुझको मार दो।।

चलो! मै फिर भी बच जाऊँगी,
आपके घर से किसी और की इज्जत बन जाऊँगी,
जब मैं बिहाऊंगी,
और आपसे दूर चली जाऊँगी,
आपकी बेटी से किसी और के घर की बहू बन जाऊँगी,
मर्यादा, इज्जत, संस्कार को अपना गहना बनाऊँगी
क्या मैं फिर भी बच पाउंगी,
क्या मैं फिर भी बच पाऊँगी,
या फिर एक बार दहेज की आग में जल जाऊँगी,
बाबा मै इतना न सह पाऊँगी,
जिंदगी जीने से पहले डर डर के मर जाऊँगी।
इसलिए, बाबा, मुझे इस डर के भार से उतार दो,
मेरे जलने से पहले मुझको मार दो।।

पुरानी कहानी

राजीव कुमार
प्रवर श्रेणी लिपिक

एक कहानी बड़ी पुरानी,
मैं उसको दुहराता हूँ ।
रोओगे तुम शायद सुनकर,
लेकिन मैं तो सुनाता हूँ ।

विधवा मां ने पाल-पोसकर,
अपना बेटा बड़ा किया।
घुटनों के बल पड़े हुए को,
पैरों पर ला खड़ा किया ।

मिली नौकरी ज्योहीं त्योहीं,
सुन्दर पत्नी घर आयीं ।
अपने संग वह गहने कपड़े,
बर्तन भाड़े पर लाई ।

पति को वश में करके बोली,
मां तो हमसे जलती है ।
उस घर का जड़ खोद रही है,
जिस घर में वो पलती है ।

एक म्यान में दो तलवारें,
रह सकती है कभी नहीं।
प्यार मुझको करते हो तो,
काटो मां का सर अभी यहीं ।

कोप भवन में वो जा बैठी,
तो कटार ले निकले ये ।
अब ये नहीं रहे थे वैसे,
जैसे अब से पहले थे ।

मां की गर्दन काट,
प्रिया को चले रिझाने ज्योहीं।
सहसा लगी चोट पैर में,
गिरे लड़खड़ाकर त्योंही
अरे चोट तो नहीं लगी बेटा,
चिंता से बोली मां।
वही कि जिसका रक्त-रंगा मुख,
छिटक गिरा कोने में था।

सुध आई बेटे को,
लेकिन बड़ी देर से आई।
कोप भवन में बैठी थी जो,
क्या समझ उसे भी आई?

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित 14 प्रकार के दस्तावेज शामिल हैं, जिनका हिंदी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी जारी किया जाना आवश्यक हैः

1. सामान्य आदेश
2. अधिसूचनाएं
3. प्रेस विज्ञप्तियां/टिप्पणियां
4. संविदाएं
5. करार
6. अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र
7. लाइसेंस
8. परमिट
9. टेंडर के फॉर्म और नोटिस
10. संकल्प
11. नियम
12. संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज़ पत्र
13. संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें
14. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें

कोष मूलो दण्ड

अश्वनी कुमार

सहायक

राज्य के धन का स्त्रोत 'कर' यानी टैक्स होता है! मौर्य प्रशासन में चाणक्य ने कर व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया था.. किसी भी राज्य की सैन्य शक्ति, प्रशासनिक खर्च एवं लोककल्याणकारी कार्यों के लिए कोष पर पूर्ण निर्भरता होती है। राज्य यानी सरकार का राजकोष अहम तौर पर जनता से वसूले गए टैक्स से ही संचित किया जाता है। वर्तमान में भारत में दो तरह की कर प्रणाली कार्य करती है–

पहला अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एवं दूसरा प्रत्यक्ष कर प्रणाली।

भारत की सरकार एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई वेलफेयर स्टेट की भूमिका में है। समाज के पिछड़े वर्ग को बराबरी में लाना, भयमुक्त समाज बनाना और हर सुख दुख में जनता की मदद करने की व्यवस्था ही वेलफेयर स्टेट की भूमिका माना जाता है।

जबकि राजशाही शासन वाले देशों में वहां की सरकार पुलिस स्टेट की तरह काम करती है। वहां की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखती...

आप अमीर हो टैक्सेशन के दायरे में आते हो फिर भी टैक्स नहीं चुका रहे या टैक्स चोरी कर रहे तो इसे सीधे सीधे राजदंड के योग्य माना जाता है। कर व्यवस्था का इतिहास हज़ारों साल पुराना है।

आपकी इस चोरी से सरकारें कोष के अभाव में जरूरतमंद को मदद नहीं पहुंचा पाती है तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाए?

अगर एक गरीबी रेखा से नीचे तक गुजर बसर करने वाला व्यक्ति हर सामान पर अदृश्य रूप से 5% से लेकर 28% तक टैक्स चुका रहा है तो देश के अमीरों को उनकी जिम्मेदारी से भागने नहीं दिया जा सकता.. उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए!
कोष किसी राज्य या देश की उन्नति का भविष्य नियत करता है!

अक्सर हमें देश के विभिन्न अमीरों के यहां आयकर और GST के छापेमारी की खबरें मिलती रहती है!ये लोग अपनी आमदनी का एक छोटा सा भी हिस्सा सरकार को देने में कचोट से जाते हैं मगर पालतू कुत्ते पर हज़ार रुपये रोज खर्च देंगे..उनके कर चोरी के कारण ही राजकोष को भरने हेतु सरकारें निरीह जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ डालते चली जाती है। मतलब अमीरों से टैक्स न वसूल पाने का जिम्मा या नाकामी अंततः जनता पर ही फोड़ा जाता है..वे बेचारे कराह तक नहीं पाते..टैक्स चोरी करने वाला भी चोर ही है। टैक्सेशन में चोरी करवाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है और टैक्स न वसूल सकने वाला सिस्टम भी उससे कहीं ज्यादा जबाबदेह है। अगली बार अगर किसी राजनेता, फिल्मी कलाकारों या कॉर्पोरेट के ठिकानों पर रेड हो तो कम से कम मुस्कुरा उठिए..उनकी लायबिलिटी निरीह जनता और आपके ऊपर आने से बच तो गई!

चाणक्य के अनुसार कर की चोरी की सजा मृत्युदंड होनी चाहिए और चंद्रगुप्त प्रशासन में इसकी सज़ा भी यही थी! सल्तनत, मुगल काल में तीन चौथाई तक टैक्स लगाए जाते थे और निर्ममता से वसूले भी जाते थे। कोड़े से पीटा जाता था, मांस तक काट लिए जाने का क्रूर इतिहास रहा है..जबकि आजकल की सरकारें टैक्स देने के लिए इन रईसों से गिड़गिड़ाती फिरती है!

चाणक्य का कोष मूलो दण्डः आयकर का ध्येय वाक्य आज भी है। सरकार के पास पैसे हमसे ही आना है.. हर एक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी अमीर वर्ग पर डालना सबसे आसान उपाय है। कर चोरी में मदद

करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम इस देश के बारे में एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि उसके इस कृत्य से हमारी आर्थिकी कैसे प्रभावित होगी? निरीह आबादी बेमतलब के अतिरिक्त टैक्स का भार कैसे सहेगी?
उनके लालच से देश एक साथ कई मोर्चों पर खोखला हो रहा होता है!

ये राजद्रोह से कम नहीं है.. नेताओं के भ्रष्टाचार के मसले अलग हैं वो अलग मुद्दा ही है। वो करते बहुत गलत हैं मगर अंततः वे नोट भी चुनावों के वक्त जनता के बीच ही जानी है..
लेकिन टैक्स चोरों के पैसे आराम से शेयर मार्केट इक्विटी आदि में दिन रात तरक्की कर रहे होते हैं.. टैक्स चोरी राष्ट्रद्रोह का दूसरा रूप है.. जितना अधिक कर आएगा राष्ट्र की उतनी उन्नति सुनिश्चित होगा.. अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे.
. मगर किसी को क्या फर्क पड़ना है..

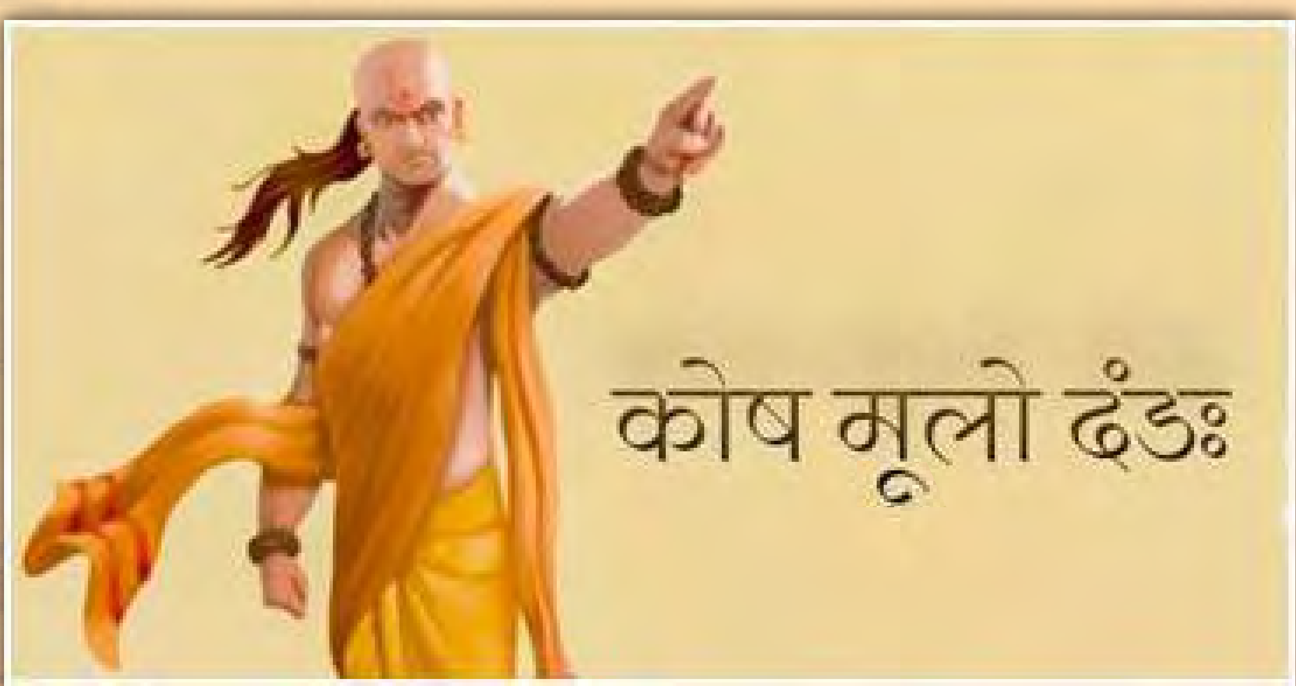

तू क्या है मेरे लिए

तरन्नुम कहकशां
बहु कार्य कार्मिक

तू वो किस्सा है, जिसे सुनाना चाहती हूँ
तू वो तस्वीर है जिसे दुनिया को दिखाना चाहती हूँ
तू वो आसमां है मेरे लिए, जिसमें पंख फैलाना चाहती हूँ
तू वो दरिया है जिसकी गहराई में डूब जाना चाहती हूँ।

तू वो गजल है जिसे गुनगुनाना चाहती हूँ
तू वो ख्वाब है जिसे जीना चाहती हूँ
तू वो मन्नत है जिसे रोज रब से मांगती हूँ मैं
तू वो मंजिल है जिसे पाना चाहती हूँ मैं।

तू सर्दियों की धूप है, तू गर्मियों की राहत
मरने वाले की आखिरी इच्छा है तू, तू है जीने की चाहत
तू वो सपना है जो रोज रातों को मेरी नींद में दस्तक देता है
तू वो अहसास है जो हर वक्त मेरे साथ रहता है।

तू सावन की वो पहली बूँद है, जो धरती को सुकून देती है
तू मिटटी की वो खुशबू है, जो मद्धम मद्धम उठती है
तू वो पाक दुआ है जिसे मैं रोज दोहराती हूँ
तू रब का वो रूप है जिसे मैं खुद से भी ज्यादा चाहती हूँ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम : सामाजिक सुरक्षा का पर्याय

शिव सुन्दर चौधरी

अ०श्रे०लिपिक

मानव का जीवन हमेशा जोखिमों से भरा रहता है। पहले समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। सामाजिक सुरक्षा की जरुरत उपलब्ध संसाधनों द्वारा ही पूरी कर ली जाती थी। उदारीकरण एवं शहरीकरण के कारण ये संस्थाएं लोगों को आवश्यक सामजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में नाकाफी साबित हुईं ऐसी परिस्थिति में राज्य को नियम बनाने की जरुरत हुई। ऐसे ही समय में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश के आधार पर प्रो. अदारकर के नेतृत्व में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बना, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 कहा गया। यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक संस्था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, राज्यों में स्थित शाखा कार्यालयों, औषधालय सह शाखा कार्यालयों एवं अस्पताल द्वारा एक छतरी के नीचे बीमाकृत व्यक्तियों को नकद एवं चिकित्सा हितलाभ की सुविधा मुहैया करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आधारभूत संरचना पर एक नजर डालें तो लगभग निम्नलिखित आंकड़े सामने आते हैंः—

1.	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय की सं	65
2.	शाखा कार्यालयों की सं.	650
3.	भुगतान कार्यालयों की सं.	185
4.	औषधालयों की सं.	1495
5.	निरीक्षण कार्यालयों की सं.	401
6.	अस्पतालों की सं.	152
7.	अस्पताल अनेक्सी की सं.	42
8.	व्यावसायिक चिकित्सा निदान केन्द्रों की सं.	08
9.	पैनल डॉक्टरों की सं.	1350
10.	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की सं.	9250
11.	चिकित्सा महाविद्यालयों की सं.	12

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके आश्रितों को नकद एवं चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराता है। यह 'संचय एवं अधिकतम जोखिम' के सिद्धांत पर कार्य करता है।

1. **नकद हितलाभ :** नकद हितलाभ देश के विभिन्न राज्यों में स्थित शाखा कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये निम्नलिखित हैंः—

(क) बीमारी हितलाभ (ख) विस्तारित बीमारी हितलाभ (ग) अस्थायी अपंगता हितलाभ

(घ) स्थायी अपंगता हितलाभ (च) आश्रित हितलाभ (छ) राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना (ज) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (झ) मातृत्व हितलाभ (ट) कोविड-19 राहत योजना (ठ) चिकित्सा महाविद्यालय में बीमाकृत व्यक्ति के नीट (NEET) पास बच्चों के नामांकन में आरक्षण, इत्यादि।

(क) बीमारी हितलाभः इसके अन्तर्गत बीमाकृत व्यक्ति को शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य नहीं कर पाने की स्थिति में बीमा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर उनके औसत मजदूरी के 70% का भुगतान शाखा कार्यालय द्वारा किया जाता है।

(ख) विस्तारित बीमारी हितलाभः यह हितलाभ कार्य की प्रकृति के कारण व्यावसायिक रोग, जो सूचीबद्ध हैं, के लिए दिया जाता है। यह हितलाभ पहले 91 दिनों तक, उसके बाद चिकित्सा निर्देशी या विशेषज्ञ की अनुशंसा पर 124 दिनों तक बढाया जाता है। फिर विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुशंसा पर इसे 309 दिनों तक बढाया जाता है तथा 309 दिनों के बाद क्षेत्रीय निदेशक द्वारा मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर अधिकतम 730 दिनों तक बढाया जा सकता है।

(ग) अस्थायी अपंगता हितलाभः यह नियुक्ति की तिथि से ही कार्य के दौरान दुर्घटना (कार्यस्थल पर आने जाने का समय भी सम्मिलित) होने पर दिया जाता है। यह औसत मजदूरी का 90% होता है।

(घ) स्थायी अपंगता हितलाभ : यह हितलाभ रोजगार चोट के फलस्वरूप बीमाकृत व्यक्ति को स्थायी अपंगता की स्थिति में दिया जाता है। इसका निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाता है कि किसी अंग की क्षति होने पर बीमाकृत व्यक्ति को अर्जन क्षमता की कितनी हानि हुई है।

(च) आश्रित हितलाभ : यह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति की कार्य के दौरान हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को दिया जाता है। यह उनकी मजदूरी का 90% होता है।

(छ) राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना : यह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति को स्थापना या कारखाना बंद होने या नौकरी से छंटनी की स्थिति में उनके बेरोजगार हो जाने पर दिया जाता है। यह पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार दिया जाता है। पहले वर्ष में यह मजदूरी का 50% तथा दूसरे वर्ष में 25% दिया जाता है।

(ज) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजनाः यह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति को काम छूट जाने पर दिया जाता है।

(ट) कोविड-19 राहत योजना : क.रा.बी. योजना के अंतर्गत आच्छादित वैसे बीमाकृत व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई हो, उन्हें यह हितलाभ प्रदान किया जाता है। यह अल्पकालिक योजना है जो 24.03.2020 से दो वर्षों के लिए प्रभावी है। इसमें बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को आश्रित हितलाभ के समान ही लाभ दिया जाता है। इसके लिए कोविड-19 की पहचान होने से तीन माह पूर्व ऑनलाइन पंजीकृत होना चाहिए तथा एक वर्ष पूर्व तक बीमा योग्य रोजगार में रहना चाहिए एवं इस अवधि में कम-से-कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1800/- रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है।

(ठ) **चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन (MBBS) में बीमाकृत व्यक्ति के बच्चों को आरक्षणः** बीमाकृत व्यक्ति के वैसे बच्चे जो NEET की परीक्षा पास कर चुके हों तथा आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों, उनके लिए क.रा.बी. निगम के महाविद्यालयों में 5% सीट लगभग 400 सीट आरक्षित हैं।

(2) **चिकित्सा हितलाभ :** चिकित्सा हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति को दिया जाने वाला महत्वपूर्ण हितलाभ है। इसमें बीमाकृत व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:-

(क) प्राथमिक चिकित्साः प्राथमिक चिकित्सा औषधालय सह शाखा कार्यालयों, राज्य सरकार के औषधालयों से प्राप्त किए जाते हैं।

(ख) द्वितीयक चिकित्साः यह वर्तमान में राज्य सरकार एवं निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। जिन जगहों पर क०रा०बी०निगम के अस्पताल हैं वहां द्वितीयक चिकित्सा टाई-अप अस्पताल द्वारा बंद है।

(ग) अति विशिष्ट चिकित्साः यह निगम अपने विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों, सरकारी चिकित्सा संस्थानों एवं उपलब्ध नहीं होने पर प्राइवेट चिकित्सा संस्थान द्वारा टाई-अप व्यवस्था के तहत दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त भी सेवानिवृत्ति के पश्चात क.रा.बी.निगम द्वारा 10/- रुपये प्रतिमाह के भुगतान पर चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाता है। पूरे विश्व में भारत की यह सामाजिक सुरक्षा योजना, क.रा.बी. योजना, अभूतपूर्व सेवा प्रदान करती है। कोई भी अन्य संस्थान इतने कम खर्च पर अपने लाभार्थियों को चिकित्सा एवं नकद हितलाभ प्रदान नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, बीमाकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त यह उनके पूरे परिवार को बहुत ही कम अंशदान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराता है। निश्चय ही यह एक कल्याणकारी योजना है जिसमे 'न हानि न लाभ' के सिद्धांत पर काम किया जाता है।

तन्हाई में भी अच्छाई है

तरन्नुम कहकशां
बहु कार्य कार्मिक

तन्हाई में भी बहुत सी अच्छाई है
बिना बात हँसाती है, रुलाती है
बड़े-बड़े ख्वाब दिखलाती है
क्योकि तन्हाई में भी बहुत सी अच्छाई है।

अपने आप से मिलवाती है
जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है
अपनों की याद दिलाती है
बाते जो दफ़न हो गयी हैं यादों के कब्र में
उनसे मिलवाती है।
क्योकि तन्हाई में भी बहुत सी अच्छाई है।

ख्यालों के मझधार में डुबोती है
खुद पर भरोसा करना सिखलाती है
क्योकि तन्हाई में भी बहुत सी अच्छाई है।

बाधा

श्वेता सिन्हा
सहायक निदेशक (रा.भा.)

जाने क्यूँ नारी को ही
माना जाता है 'बाधा'
चाहे बोधि प्राप्ति का लक्ष्य हो
या देश सेवा की लगन
अथवा ऐसा ही कोई 'महान' कार्य।

नारी, जिसे ईश्वर ने इस धरती पर
सृष्टि की रचयिता बना कर भेजा
जिसके बिना सृष्टि का
पालन भी शायद ही संभव हो,
वही जाने कैसे 'महान' कार्यों में
बाधा बन जाती है।

नारी तो स्वयं ही त्याग की
प्रतिमूर्ति है
एक बार पूछ कर तो देखा होता,
राधा ने हंस कर कृष्ण को विदा किया
धर्म की स्थापना के लिए,
सीता ने सहर्ष वन गमन किया
राजा राम की धर्म रक्षा के लिए।
फिर यशोधरा कैसे बाधा बन गई
गोद में सिद्धार्थ को लिए।

नारी स्वयं तो बोधि प्राप्ति अथवा
देश सेवा के लिए
नहीं त्याग सकती कुछ भी
पुरुष की अर्धांगिनी जो ठहरी
दायित्वों के निर्वहन का बोझ थामे
उसे यूँ ही रहना है।

फिर पुरुष क्यूँकर है इतना कायर
कि नारी ही बांध लेती है,
रोक लेती है उसे
उसके कर्तव्यपालन से
चाहे वो घर हो, समाज हो या कि देश।

गाँधी ने भी कस्तूरबा का
साथ माँगा था
देश की आजादी के लिए,
शारदा भी छाया की तरह
रामकृष्ण परमहंस के साथ
उनकी लक्ष्य प्राप्ति में लगी रहीं।

ये पुरुष की विवशता नहीं,
उसके हृदय का दौर्बल्य है
जो नारी को उसके पथ की
बाधा बना देता है, रोक लेता है
उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से।

वात्सल्य

मालविका

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

पली नहीं पालने में,
पली थी प्यार से लेकिन।
दिए संस्कार जो माँ ने,
पिता की सौगात शिक्षा थी।
खड़े बटवृक्ष बनकर थे,
लता लेकिन न बनने दी।

पर तपाया धूप में जो था,
तो गुस्सा खूब आया था।
जो नाजों से न पाला था,
और सांचे में जो ढाला था,
वो अनुशासन की कड़ी बेड़ी,
जो पैरों में मेरे डाला,
बने तब क्रूर एक सूरत,
नहीं वात्सल्य की मूरत,
बहा वात्सल्य अंतर में,
ये कब मैं जान पाई थी।
पिताजी आपको मैं तब,
कहाँ पहचान पाई थी।

हुई जो दूर आपसे हूँ,
व कंटीला राह जब पाया,
तो मैं यह जान पाई हूँ,
कि दिया नहीं मान बेटे का,
मुझे अभिमान बनाया था।
इसी खातिर पापा ने मुझे,
नहीं लाड़ लड़ाया था।

ज्ञान का प्रसार

प्रत्यूष कश्यप

पुत्र-मालविका

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

करो ज्ञान का प्रसार,
इससे होगा सबका उद्धार।
अगर है कोई बीमार,
कहो गीता का सार।
ख़त्म होगा विकार,
करो ज्ञान का प्रसार।

अगर करोगे ज्ञान का प्रसार,
सबके अच्छे होंगे तुम्हारे प्रति विचार।
अनपढ़ को मत कहो गँवार,
करो ज्ञान का प्रसार।
होगा उद्धार,
करो ज्ञान का प्रसार।

जय, जय, जय, सूर्य भगवान

प्रत्यूष कश्यप

पुत्र-मालविका

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

जय, जय, जय, सूर्य भगवान,
किरणों से देते हैं जीवनदान।
आयें तो होता है दिन,
जग होता नहीं रौशन आपके बिन।
प्रेम से करें सूर्य नमस्कार,
प्रभो विनती करें स्वीकार।
तारे भी चमकते हैं, पर वे हैं अनेक,
जग में आप हैं केवल एक, केवल एक।

आप आएं तो शुरू होता है सफ़र,
आपके आने पर लोग काम के लिए कसते हैं कमर,
आप हैं बजरंगबली के गुरु,
आपके आने से हर काम होता है शुरु।
आपकी पूजा के लिए करें उपवास,
अच्छाई करती है आपमें वास।

संस्था

श्वेता सिन्हा
सहायक निदेशक (रा०भा०)

आज दो वर्षों के बाद अपने शहर लौटने पर 'संस्था' का नाम सुना। जिज्ञासा थी कि यह आखिर है क्या? घूमती-घामती पहुँच ही गयी एक दिन और वहां जो देखा तो देखकर भावविह्वल हो गयी। श्रद्धा दी बड़ी ही तन्मयता से 10-12 लड़कियों के समूह को सितार वादन सिखा रही थीं। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और नौकरानी को कुछ मीठा और कॉफ़ी लाने को कहा। उन्हें अभी भी मेरा मीठा खाने का शौक याद था। वे बड़ी खुश नजर आ रही थीं।

"आज तुम्हारी वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। यह जो 'संस्था' नाम की संस्था खड़ी है, उसकी नींव तो तुमने ही डाली है। वरना मेरा जीवन तो एक मरुस्थल बन कर रह गया था, जहाँ किसी बहार की कल्पना ही बेमानी है।"

"अरे, नहीं दीदी, ऐसा बिलकुल भी नहीं है। यह तो आपकी प्रतिभा है जो थोड़े से लगन और मेहनत से इस मुकाम तक पहुँच गयी है।"

मुझे वे पल याद आ गए जब अपनी सेवानिवृत्ति के दिन वे ऑफिस में ही फूट-फूट कर रो पड़ी थीं—"अब मैं क्या करूंगी? यहाँ से भी सेवानिवृत्त हो गयी। पति, बेटा सभी साथ छोड़कर चले गए, अब किसके लिए जीना? जीने का कोई मकसद नहीं मेरे पास। काश मैं भी उन सबके साथ ही चली गयी होती, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता।

मैंने उन्हें सहारा देकर बिठाया और पानी का गिलास पकडाया। पानी पीकर वे थोड़ी शांत हुई। मैंने उन्हें सांत्वना देने की पूरी कोशिश की।

श्रद्धा दी और मैं एक ही ऑफिस में कार्य करते थे। वे मुझसे बहुत ही सीनियर थीं। मुझे तो इस ऑफिस में ज्वाइन किए सिर्फ पांच वर्ष ही हुए थे। मेरे लिए यह नई जगह थी। उन्होंने हर तरह से मेरी मदद की। ऑफिस से सम्बंधित कोई भी समस्या हो या फिर कोई घरेलू समस्या, मैं तुरत उनके पास पहुँच जाती। और मेरी हर समस्या का हल भी उनके पास मौजूद होता। शायद वर्षों का अनुभव था। मेरी ही क्यों उनके पास तो सभी की समस्या का हल था। सभी उनके पास अपनी समस्या लेकर आते और वह बड़ी दीदी की तरह सबका समाधान लिए तैयार रहतीं।

इसी बीच एक दुर्घटना घट गयी। श्रद्धा दी का इकलौता जवान बेटा, जो रूडकी से इंजीनियरिंग कर रहा था, छुट्टियाँ मनाने घर आया हुआ था। घर पर सबसे मिलने के बाद दोस्तों के साथ पिकनिक का कार्यक्रम बना। सभी गोवा घूमने गए। वहां उन्होंने खूब मौज मस्ती की। उनके बेटे ने वहां की तस्वीरें भी भेजी थीं। पर वहां से लौटते समय उनकी गाडी का एक्सीडेंट हो गया और सभी की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। इस घटना से श्रद्धा दी तो लगभग अर्धविक्षिप्त हो गई। उन्हें दीन दुनिया की खबर ही नहीं रहती थी, बस अपने में खोई गुमसुम बैठी रहती थीं। बड़ी मुश्किल से महीनों बाद वे इस सदमे से उबर पाई थीं और अब सेवानिवृत्ति के बाद का अकेलापन। उन्हें ऐसा लग रह था जैसे जीने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया हो।

मेरा उनके घर आना जाना पहले भी होता था और मैंने उसे अब भी जारी रखा। श्रद्धा दी को संगीत में बहुत रूचि थी। पहले वे हमेशा

कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थीं। साथ ही वे कई तरह के वाद्य यंत्र बजाया करती थीं। ऑफिस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे जरुर हिस्सा लेती थीं। मैंने बातों-बातों में यूँ ही प्रस्ताव रखा, ''श्रद्धा दी, आप फिर से अपना गायन-वादन क्यों नहीं शुरू करतीं। यहाँ आस-पास कई बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन योग्य गुरु नहीं मिलने के कारण सीख नहीं पाते। अगर आप उन्हें सिखाएंगी तो आपका अकेलापन भी दूर होगा और मानसिक शांति भी मिलेगी।"

उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरअसल उन्होंने जिंदगी के प्रति उदासीन रवैया अपना लिया था। वैसे भी अब उनकी जिंदगी में बचा ही क्या था? वे एक बहुत बड़े उद्योगपति की इकलौती संतान थीं। माँ-बाप ने बड़े लाड-प्यार से पाला। साथ ही, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार भी दिए। इन्ही सद्‌गुणों के साथ वे बड़ी होती गई। रंग-रूप की मलिका तो ईश्वर ने उन्हें पहले ही बनाया था। उच्च शिक्षा की बदौलत जल्दी ही उन्हें यह नौकरी भी मिल गयी।

अपने पति श्रीनिवास जी से उनकी मुलाकात एक साक्षात्कार के दौरान हुई थी। इंटरव्यू बोर्ड में वे भी एक सदस्य थे। श्रद्धा दी के व्यक्तित्व और प्रखर बुद्धि ने उनको अत्यधिक प्रभावित किया था। नौकरी तो खैर उन्हें वहां नहीं मिली, पर जीवनसाथी मिल गया।

उनकी जिंदगी में जैसे बहार ही बहार छा गयी। अपनी नौकरी, गृहस्थी के दायित्वों का पालन, माँ का कर्तव्य सबके साथ उन्होंने पूरा न्याय किया। और फिर एक दिन जीवनसाथी ही साथ छोड़कर चला गया। वह विपदा भी उन्होंने बड़ी हिम्मत से झेली। अत्यंत धैर्य का परिचय दिया उन्होंने। खुद को संभालते हुए अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश की। और अब उसी बेटे की मृत्यु का दंश, सेवानिवृत्ति—यह सब झेलना उनके वश के बाहर था।

नियति भी कभी-कभी क्या खेल खेलती है। कहाँ उन्हें अब अपने पोते-पोतियों के साथ खेलने का मौका मिलता, बेटे-बहू से भरा-पूरा परिवार होता और कहाँ यह अंतहीन तन्हाई! फिर भी मनुष्य कितनी भी विकट परिस्थिति में क्यों न हो, जीने की कोई-न-कोई राह निकाल ही लेता है।

इन्हीं दिनों मेरी पदोन्नति हुई और स्थानान्तरण कानपुर हो गया। श्रद्धा दी को उन्हीं परिस्थितियों में छोड़कर मैं कानपुर चली गयी। वह दिन और आज का दिन। श्रद्धा दी को खुश देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिला उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है। मैं इस दौरान घटित घटनाओं के बारे में जल्द-से-जल्द जानना चाहती थी। श्रद्धा दी मेरी बेचैनी समझ रही थीं। उन्होंने बताना शुरू किया— "जानती हो मालती, तुम्हारे बार-बार कहने पर भी मैंने सुरों को कभी नहीं छेड़ा, न ही कोई साज छुआ। उस दिन कुछ ऐसी स्थिति बन गयी कि मुझे फिर से गाना पड़ा।"

"हाँ दी, बताइये न क्या हुआ था उस दिन?"

"तुम्हें तो पता है इस कॉलोनी में एक 'फ्रेंड्स क्लब' है जो हर वर्ष बड़े धूम-धाम से सरस्वती पूजा का आयोजन करता है। उस दौरान क्लब द्वारा सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष की पूजा में उन लोगों ने एक मशहूर गायिका को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। कार्यक्रम शुरू होने के ठीक पहले पता चला कि किसी कारणवश वे नहीं आ सकेंगी। पूरा हॉल दर्शकों से खचाखच भरा था। अगर कार्यक्रम शुरू नहीं होता तो वहां मारपीट की नौबत आ जाती। इतने में उस क्लब के कुछ बच्चों को मेरा ध्यान आया। उन्होंने मुझसे अनुनय-विनय की। मौके की नजाकत को देखते हुए मैं उन्हें टाल नहीं पाई और तभी से पुनः मेरी संगीत यात्रा शुरू हो गयी। साथ ही मैंने अन्य रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों से संपर्क किया।"

"परिणामस्वरूप यह 'संस्था' खड़ी हो गयी। मुझे पैसों की कोई कमी कभी नहीं रही। हाँ, इस संस्था ने मेरा अकेलापन दूर कर दिया। अब देखो मेरा भरा-पूरा परिवार। इतने बेटे-बेटियाँ और पोते-पोतियाँ तो नसीब वालों को ही मिलते हैं और इन सबके पीछे तुम हो, सिर्फ तुम।"

कोयल एवं मेढ़क

अर्नव

सुपुत्रः संजय कुमार, उप निदेशक

एक मेढ़क था। वह तालाब के किनारे रहता था। वहीं तालाब के किनारे एक पेड़ पर कोयल रहती थी। कोयल बहुत सुमधुर आवाज में कुहू-कुहू के गीत गाती थी। कोयल की मीठी आवाज़ और उसका गीत मेढक को बहुत पसंद आता था। वह देखता था कि जब कोयल कुहू-कुहू गाती है तो सब लोग उसके गीत को बहुत पसंद करते थे और उसी तरह से उसकी नक़ल भी करते थे। मेढ़क भी कोयल की तरह कुहू-कुहू गीत गाना चाहता था परन्तु जब वह गाने की कोशिश करता तो उसके मुँह से केवल टर्र-टर्र की आवाज आती थी। वह सोचता कि सभी लोग कोयल के गीत को पसंद करते हैं पर उसके गीत को कोई पसंद नहीं करता। ऐसा सोच कर वह उदास रहता था। उसने कई बार कोयल की तरह गाने का प्रयास किया परन्तु असफल रहा। मेढक हमेशा सोचा करता था कि कोयल की आवाज इतनी मीठी क्यों होती है और उसकी आवाज इतनी बेसुरी क्यों है?

एक दिन मेढ़क के मन में यह बात आयी कि हो सकता है कि कोयल मीठी चीजें खाकर मीठी आवाज निकलती होगी। फिर वह अपने मित्र गौरेया के पास जाता है और उसे चीनी के दाने लाने को कहता है। गौरेया उसे चीनी के दाने लाकर देती है। मेढ़क चीनी के मीठे दाने खाकर कोयल की तरह गाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वह कोयल की तरह गीत नहीं गा पाता है। अब मेढ़क ने सोचा कि हो सकता है चीनी का असर होने में थोडा समय लगेगा। उसने कुछ देर रुक कर फिर से कोयल की तरह गाने का प्रयास किया लेकिन इस बार भी वह उसकी तरह मीठे स्वर में कुहू-कुहू गीत नहीं गा पाया। उसी समय कोयल वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि मेढक उसकी तरह गाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके मुँह से टर्र-टर्र की आवाज ही निकल रही है। कोयल रुक कर मेढक से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। मेढक उसे सारी बात बता देता है कि उसे कोयल का गीत बहुत पसंद है और वह भी उसकी तरह गाना चाहता है। फिर कोयल उसे समझाती है कि वह पानी में रहता है जबकि कोयल पेड़ पर रहती है। वह पानी में नहीं रह सकती। प्रकृति ने सभी जीवों को अलग बनाया है। सभी जीवों का अलग जीवन है और उनकी विशेषताएं भी अलग हैं। इसलिए हमें दूसरी से तुलना नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी नक़ल करना चाहिए। कोयल की बात सुनकर मेढक बहुत खुश हुआ और मस्ती से टर्र-टर्र करने लगा। उसके बाद उसने कभी कोयल की नक़ल करने की नहीं सोंची।

क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापना दिवस का आयोजन

क्षेत्रीय परिषद् की 76 वीं बैठक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

ईएसआईसी अस्पताल बिहटा का मंत्री ने किया निरीक्षण

पटना | बिहार के ईएसआईसी के लाभार्थियों एवं आम जनों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 330 बेड का अस्पताल और 100 सीटों के मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू किये जाने संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों से विचार विमर्श किया। उन्होंने अस्पताल परिसर का भ्रमण किया और अस्पताल की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की और कुछ अपेक्षित सुझाव भी दिए। मंत्री अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की तैयारियों से काफी संतुष्ट हुए। उन्होंने मरीजों के पैथोलॉजिकल जांच के लिए नवनिर्मित लैब का भी उद्घाटन किया।

सहारा

ईएसआई अस्पताल में मरीजों को मिले बेहतर सुविधा : जीवेश

ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, बिहटा

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, बिहटा में सुविधाएं

1. उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा, जांच की सुविधा, मुफ्त दवाइयाँ।
2. ईएसआईसी के लाभार्थियों के अलावे आमजन को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा व दवाइयाँ।
3. अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा।
4. पटना के गांधी मैदान से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, बिहटा के लिए प्रतिदिन मुफ्त बस सुविधा।
5. 40 साल से अधिक उम्र के बीमितो का नियमित हैल्थ चेक अप।
6. ई-संजीवनी एप्प के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श।
7. इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज मे पढ़ाई की शुरुआत।

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-8000 001